[2020] 10 एस. सी. आर 857

पंजाब राज्य और ओ. आर. एस.

वी.

डेविंदर सिंह और हमारा।

(2011 की सिविल अपील संख्या 2317)

अगस्त 27,2020

[अरुण मिश्रा, इंदिरा बनर्जी, वाइन सरन,

एम. आर. शाह और अनिरुद्ध बोस, जे. जे.]

भारत का संविधान-कला। 14 , 15 , 16 , 338 , 341 , 342 और

पंजाब अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग

(सेवाओं में आरक्षण) अधिनियम, 2006। 4 (5) - सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग (जाति) के भीतर उप-वर्गीकरण - राज्य सरकार ने एक परिपत्र द्वारा यह प्रावधान किया कि आरक्षित सीटों में से

अनुसूचित जातियों के लिए पचास प्रतिशत रिक्तियों की पेशकश बाल्मीकियों और मजहबी सिखों को की जाएगी-परिपत्र को रद्द कर दिया गया था

उच्च न्यायालय-उच्चतम न्यायालय ने एस. एल. पी. को खारिज कर दिया

पंजाब अधिनियम 2006 में अधिसूचित किया गया था - धारा 4 (5)

पंजाब अधिनियम ने परिपत्र में किए गए समान प्रावधान किए, जो खारिज कर दिया गया था-उच्च न्यायालय ने प्रावधानों को रद्द कर दिया

एस में निहित। 4 (5) में निर्णय के आधार पर पंजाब अधिनियम ई. वी. चिन्नायाह बनाम ए. पी. और अन्य राज्य-उच्चतम न्यायालय में, ए.

तीन न्यायाधीशों की पीठ ने ई. वी. में 5-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले पर विचार करने के लिए मामले को एक बड़ी पीठ के पास भेज दिया।

चिन्नाया को कला के आलोक में फिर से देखे जाने की आवश्यकता है। 338 में से संविधान और कानून के स्पष्टीकरण का सही ढंग से पालन नहीं करना

इंद्र साहनी और ओआरएस में। वी. भारत संघ-यह ध्यान दिया गया कि इस मामले में कलाओं के बीच व्याख्या और परस्पर क्रिया शामिल थी। 16 (1) , 16 (4) , 338 और संविधान का 341-आयोजितः इंद्र साहनी में, यह माना गया था कि इसके भीतर उप-वर्गीकरण करने की अनुमति है।

सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग-समान होंगे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए लागू होता है क्योंकि वे

मान लीजिए कि आप/कला गिर जाते हैं। 16 (4) – उप-वर्गीकरण यू/बनाया गया था। पंजाब अधिनियम की धारा 4 (5) यह सुनिश्चित करने के लिए कि आरक्षण का लाभ वंचित वर्ग तक पहुंचे और कागज पर न रहे।

इस प्रकार का उप-वर्गीकरण करने के लिए तर्क के आधार पर समानता लाने के लिए सभी को लाभ, और यह बहिष्करण 857 [2020] 10 एस. सी. आर. के बराबर नहीं होगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सूची से क्योंकि कोई भी वर्ग (जाति) समग्र रूप से आरक्षण से वंचित नहीं है-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची में असमानताएं हैं-विभिन्न रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आरक्षण से वंचित हैं।

एक समरूप समूह का गठन नहीं करता है-जब आरक्षण आरक्षित जातियों के भीतर ही असमानता पैदा करता है, तो राज्य द्वारा उप-वर्गीकरण करने और एक समान समूह को अपनाने की आवश्यकता होती है।

वितरण न्याय विधि ताकि राज्य की विशालता कुछ हाथों में केंद्रित न हो और सभी को समान न्याय प्रदान किया जाए-राज्य के पास कला के मामले में सभी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण लाभ प्रदान करने की क्षमता है। 15 (4) , 16 (4) और कला भी। 341 (1) और 342 (1)-यह सीमा/प्रतिशत निर्धारित करता है

विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षण-राज्य सरकार सूची के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती है, यह न तो सूची में किसी भी जाति को शामिल कर सकती है और न ही बाहर कर सकती है या यह जांच कर सकती है कि क्या कोई पर्यायवाची शब्द मौजूद है राज्य उत्थान की आवश्यकता वाली सूचियों के भीतर वर्ग को तर्कसंगत मानदंडों पर वरीयता प्रदान कर सकता है-यह दावा करने का कोई निहित अधिकार नहीं है कि

आरक्षण एक विशेष प्रतिशत पर होना चाहिए-इसे मान लेना होगा।

जमीनी वास्तविकता के साथ क्योंकि कोई भी पूरे आरक्षण का आनंद लेने के अधिकार का दावा नहीं कर सकता है, यह आवश्यकता के अनुसार आनुपातिक हो सकता है-कला की व्याख्या। 14 , 15 , 16 , 338 , 341 , 342 और 342 ए अत्यधिक सार्वजनिक महत्व का मामला है, और बंधन की सही व्याख्या है।

इंद्र साहनी और अन्य निर्णयों में उदाहरण-इसलिए, 3 न्यायाधीशों की पीठ की राय का समर्थन किया जाता है कि ई. वी. चिन्नैया

एक बड़ी पीठ द्वारा पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता-माननीय मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध किया जाता है कि वे मामलों को 7 या उससे अधिक न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष रखें, जिसे उचित समझा जाए।

मामले को बड़ी पीठ को संदर्भित करते हुए, न्यायालय ने पकड़नाः 1. इस न्यायालय ने सामाजिक और सामाजिक अवधारणा पर चर्चा की।

इंद्र साहनी में शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग; हालाँकि, न्यायालय ने कहा कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को पिछड़े वर्गों में शामिल किया गया है, इसलिए इस पर चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार, चर्चा इस बात तक सीमित थी कि क्या सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को अनुच्छेद 16 (4) में शामिल किया जा सकता है, यह राय दी गई थी कि अनुच्छेद 16 (4) का आधार अनुच्छेद 15 (4) से अधिक व्यापक है। यह भी देखा गया कि अनुच्छेद 16 (4) के तहत विचार किए गए पिछड़े वर्गों में कुछ शामिल हैं - जातियाँ। अनुसूचित जातियों में कुछ जातियाँ शामिल हैं।

पंजाब और ओ. आर. एस. के राज्य पर आधारित। वी. डेविंदर सिंह और हमारा।

उपरोक्त आधारभूत आधार पर व्याख्या की गई थी। इस न्यायालय की राय में, निर्णय अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए उनके आवेदन में अनुच्छेद 16 (4) प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए प्रासंगिक है। वे समान आधार पर खड़े हैं, और उन्हें अनुच्छेद 342 ए, जो अनुच्छेद 341 या 342 के समान है, को शामिल करके और अनुच्छेद 366 (24) और (26 सी) की परिभाषा पर विचार करके और पिछड़े वर्गों का वर्गीकरण करके अन्य से अलग नहीं माना जा सकता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति मान लीजिए कि वे पिछड़े हैं और सभी पर एक ही मापदंड लागू होगा। इंद्र साहनी में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के भीतर उप-वर्गीकरण करने की अनुमति है। यह चर्चा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लागू होगी क्योंकि वे अनुच्छेद 16 (4) के तहत आते हैं। [पैरा 36] [917-सी-जी]

2. सेवाओं और शिक्षा में आरक्षण के लाभ के रूप में आरक्षण वर्ग के भीतर जातीय संघर्ष हो रहा है

कागज पर नहीं रहना और सभी को लाभ प्रदान करना और उन्हें समान व्यवहार देना, क्या यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है? इस न्यायालय की राय में, समानता लाने के लिए सभी को लाभ प्रदान करने के लिए इस तरह का उप-वर्गीकरण करना तर्कसंगत आधार पर अनुमत होगा, और यह सूची से बहिष्कृत करने के बराबर नहीं होगा क्योंकि कोई वर्ग नहीं है। (जाति) कुल मिलाकर आरक्षण से वंचित है। यदि अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल सभी जातियों की मुक्ति के लिए होने वाले लाभ को कुछ जातियों द्वारा हड़पने की अनुमति दी जाती है

जिनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व किया गया है, वे आगे बढ़े हैं और

यह मलाईदार परत से संबंधित था, तो यह असमानता पैदा करने के समान होगा, जबकि भूख की स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को खिलाया और रोटी प्रदान करने की आवश्यकता होती है। फलों की पूरी टोकरी को एक समान वर्ग बनाने की आड़ में दूसरों की कीमत पर शक्तिशाली लोगों को नहीं दिया जा सकता है। [पैरा 40] [918-जी-एच; 919-ए-बी] [2020] 10 एस. सी. आर.

3. राज्य का दायित्व समुदाय के वंचित वर्ग की मुक्ति और उन्मूलन करना है

असमानताएँ। जब आरक्षण आरक्षित जातियों के भीतर ही असमानता पैदा करता है, तो राज्य द्वारा उप-वर्गीकरण करके और एक वितरण न्याय विधि अपनाकर इसका ध्यान रखा जाना आवश्यक है ताकि राज्य की उदारता कुछ हाथों में केंद्रित न हो और सभी को समान न्याय प्रदान किया जाए। इसमें संसाधनों और अवसरों का पुनर्वितरण और पुनर्वितरण और सभी सार्वजनिक और सामाजिक वस्तुओं तक समान पहुंच शामिल है ताकि इस उद्देश्य को पूरा किया जा सके।

सभी के लिए समान न्याय का संवैधानिक अधिदेश। [पैरा 42] [919-ई-एफ]

4. के भीतर आरक्षण का एक प्रतिशत प्रदान करना

अनुमेय सीमा राज्य विधानसभाओं की शक्तियों के भीतर है। इसे सूची में दूसरों को वंचित किए बिना अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के विशेष वर्गों के भीतर उचित वर्गीकरण करने की अपनी सहवर्ती शक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आरक्षण के मामले में, संवैधानिक गतिशीलता के भीतर, जरूरतमंदों को हमेशा लाभ दिया जा सकता है; अन्यथा, इसका मतलब यह होगा कि यदि सभी के लिए लाभ सुनिश्चित करने के लिए तरजीही वर्गीकरण नहीं किया जाता है तो वर्ग के भीतर असमानता बनी रहती है। [पैरा 43] [919-जी-एच; 920-ए]

5. उप-वर्गीकरण उसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए है, जैसे

मूल वर्गीकरण में ही परिकल्पित और उसके आधार पर आरक्षण की अवधारणा विकसित हुई। क्या उप-वर्गीकरण उक्त गतिशीलता के सिद्धांत का एक और विस्तार होगा, यह सवाल न्यायालय द्वारा आधिकारिक रूप से विचार किया जाना चाहिए। [पैरा 44] [920-बी]

6. राष्ट्रपति की सूची के अनुसार अनुसूचित जातियों को हर समय प्रतिबंधित नहीं किया जाता है और न ही वे एक समान समूह हैं जैसा कि विभिन्न आयोगों द्वारा एकत्र किए गए विशाल मानवशास्त्रीय और सांख्यिकीय आंकड़ों से स्पष्ट है। सीमित सीमा तक तरजीही व्यवहार का राज्य कानून, सूची में संशोधन नहीं करता है। यह सूची को जैसा है वैसा ही अपनाता है। राज्य के कानून का उद्देश्य सांख्यिकीय आंकड़ों के आधार पर व्यावहारिक तरीके से सभी अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण प्रदान करना है। यह प्रत्येक अनुसूचित जाति की जरूरतों के आधार पर आरक्षण के लाभों को वितरित करता है।

[पैरा 45] [920-सी] पंजाब और ओ. आर. एस. का राज्य। वी. डेविंदर सिंह और हमारा।

7. राज्य के पास आरक्षण देने की क्षमता है

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को लाभ अनुच्छेद 15 (4) और 16 (4) और अनुच्छेद 341 (1) और 342 (1)। यह विभिन्न क्षेत्रों के लिए आरक्षण की सीमा/प्रतिशत निर्धारित करता है।

कक्षाएँ। राज्य सरकार तरीका तय कर सकती है और

आरक्षण की मात्रा। इस प्रकार, राज्य आरक्षण प्रदान करने वाले संविधान के अनुच्छेद 14,15 और 16 की भावना के अनुरूप तर्क के आधार पर सूची में सभी अनुसूचित जातियों को आरक्षण प्रदान करते समय उप वर्गीकरण भी कर सकता है। राज्य सरकार सूची के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती है; यह न तो सूची में किसी भी जाति को शामिल कर सकती है और न ही बाहर कर सकती है या यह जांच कर सकती है कि मिलिंद में कोई पर्यायवाची शब्द मौजूद है या नहीं।

[पैरा 46] [920-डी-एफ]

8. राज्य सरकार को यह शक्ति प्रदान की गई है कि

आरक्षण प्रदान करना और इसे समान रूप से वितरित करना। विभिन्न क्षेत्रों में असमानताओं के मामले में राज्य सरकार सबसे अच्छी न्यायाधीश है। इस न्यायालय की राय में, यह राज्य सरकार को न्यायसंगत तरीके से निर्णय लेना है जिसमें आरक्षण होना चाहिए।

वितरित किया। यह अपनी कार्यप्रणाली तैयार कर सकता है और दूसरों को लाभ से वंचित किए बिना अनुसूचित जातियों में से अधिक पिछड़े वर्ग विशेष को वरीयता दे सकता है। [पैरा 47] [920-एफ-जी]

9. इसके अलावा, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों में से अन्य वर्ग,

जो आरक्षण के लाभ से वंचित नहीं है, वह यह दावा नहीं कर सकता कि आरक्षण का पूरा या एक विशेष प्रतिशत उन्हें उपलब्ध कराया जाना चाहिए था। राज्य उत्थान की आवश्यकता वाली सूचियों के भीतर वर्ग को तर्कसंगत मानदंडों पर ऐसी वरीयता प्रदान कर सकता है। यह दावा करने का कोई निहित अधिकार नहीं है कि आरक्षण एक विशेष प्रतिशत पर होना चाहिए। इसे जमीनी हकीकत के अनुरूप होना चाहिए क्योंकि कोई भी पूरे आरक्षण का आनंद लेने के अधिकार का दावा नहीं कर सकता है, यह आवश्यकता के अनुसार आनुपातिक हो सकता है। राज्य नहीं हो सकता है

विभिन्न वर्गों के उत्थान के उपायों से वंचित,

उसी समय, जो इस तरह के उपाय प्रदान करने का उद्देश्य है। आरक्षण की भावना राष्ट्र की प्रगति के लिए आवश्यक सभी वर्गों का उत्थान है। [पैरा 48] [920-एच; 921-ए-बी]

10. संघीय ढांचे में, राज्य के साथ-साथ संसद के पास [2020] 10 एस. सी. आर. के उत्थान के लिए एक संवैधानिक निर्देश है।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामाजिक और पिछड़े वर्ग। राष्ट्रपति की अधिसूचना में केवल संसद द्वारा शामिल या बहिष्कृत किया जाता है। राज्य सरकार को रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण देने का अधिकार है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मामलों में राज्य सरकार द्वारा आगे सकारात्मक कार्रवाई करने के लिए कोई संवैधानिक बाधा नहीं है। आरक्षित सीटों में से एक विशिष्ट प्रतिशत आवंटित करके और किसी विशेष वर्ग को तरजीही व्यवहार प्रदान करके, अनुच्छेद 341,342 और 342 ए के तहत सूची का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है क्योंकि किसी भी सूचीबद्ध जाति को आरक्षण के लाभ से वंचित नहीं किया जाता है।

[पैरा 49] [921-सी-डी]

11. अपर्याप्त प्रतिनिधित्व अनुच्छेद 16 (4) के प्रावधानों का आधार है। इस न्यायालय की राय में, यह राज्य के लिए खुला होगा कि वह सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए आरक्षित सीटों में से उचित कोटा निर्धारित करके तर्कसंगत आधार पर तरजीही उपचार प्रदान करे। उत्पीड़ित वर्ग की मुक्ति के लिए आरक्षण एक बहुत ही प्रभावी साधन है। इसका लाभ बड़े पैमाने पर सबसे जरूरतमंद और सबसे गरीब लोगों को नहीं मिल रहा है। [पैरा 50] [921-ई-एफ]

12. अनुच्छेद 14,15,16,338,341,342 और 342 ए की व्याख्या अत्यधिक सार्वजनिक महत्व की और सही है।

इंद्र साहनी और अन्य निर्णयों में बाध्यकारी पूर्ववर्तियों की व्याख्या। हालांकि इस अदालत में टकटकी लगाने के निर्णय के सिद्धांत के लिए पूरा सम्मान है, साथ ही, अदालत एक मूक दर्शक और कठोर वास्तविकताओं के लिए आंखें बंद नहीं कर सकती है। संवैधानिक लक्ष्य

बदलती सामाजिक वास्तविकताओं को ध्यान में रखे बिना सामाजिक परिवर्तन प्राप्त नहीं किया जा सकता है। [पैरा 51] [921-एफ-जी]

इंद्र साहनी और ओआरएस। वी. भारत संघ और अन्य। , (1992) 3 पूरक। एससीसी 217: [1992] 2 पूरक। एससीआर 454; जरनैल सिंह और अन्य। वी. लक्ष्मी नारायण गुप्ता और अन्य। ,

(2018) 10 एससीसी 396 [2018] 10 एससीआर 663; के. सी.

वसंत कुमार और अन्र। वी. कर्नाटक राज्य, (1985)

पूरक। एस. सी. सी. 714 [1985] पूरक। एस. सी. आर. 352; राज्य

केरल और अन्र। वी. एन. एम. थॉमस और अन्य। (1976) 2 एससीसी

310 [1976] 1 एससीआर 906; जगदीश नेगी, अध्यक्ष, उत्तराखंड जन मोर्चा और अन्र। वी. उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश का राज्य , (1997) 7 एस. सी. सी. 203 [1997] 3 पूरक।

एस. सी. आर. 477; पंजाब और ओ. आर. एस. का राज्य। वी. डेविंदर सिंह और

महाराष्ट्र का बनाम। मिलिंद और ओआरएस। , (2001) 1 एससीसी 4: [2000] 5 पूरक। एससीआर 65; जीवीके। इंडस्ट्रीज लिमिटेड और ए. एन. आर.

वी. आयकर अधिकारी और ए. एन. आर. , (2011) 4 एससीसी 36: [2011] 3 एस. सी. आर. 366-निर्भर। ई. वी. चिन्नायाह बनाम ए. पी. और अन्य का राज्य। (2005) 1 एससीसी 394: [1992] 2 पूरक। एससीआर 454; एम. आर. बालाजी और अन्य। वी. मैसूर राज्य और अन्य। , [1963] 1 पूरक। एस. सी. आर. 439; बीर सिंह बनाम दिल्ली जल बोर्ड और अन्य। , (2018) 10 एससीसी 312: [2018] 10 एस. सी. आर. 513; एम. नागराज और अन्य। वी. भारत संघ और अन्य। (2006) 8 एससीसी 212: [2006] 7 पूरक।

एस. सी. आर. 336; आई. आर. कोएल्हो बनाम। टी. एन. राज्य, (2007) 2 एस. सी. सी. 1: [2007] 1 एससीआर 706; इंद्र साहनी और आर. के.

सभरवाल और अन्य। वी. पंजाब राज्य और अन्य। , (1995) 2

एससीसी 745: [1995] 2 एस. सी. आर. 35; त्रिपुरा राज्य और अन्य। वी. जयंत चक्रवर्ती और अन्य। , (2018) 1 एस. सी. सी. 146:

[2017] 11 एससीआर 247; बी. के. पवित्रा और अन्य। वी. भारत संघ और अन्य। , (2019) 16 एससीसी 129: [2019] 7 एस. सी. आर. 1086; मैरी चंद्र शेखर राव बनाम। डीन, सेठ जी. एस. मेडिकल कॉलेज और अन्य। , (1990) 3 एससीसी 130: [1990] 2 एससीआर 843; डॉ. प्रदीप जैन और अन्य। वी. भारत संघ और अन्य। , (1984) 3 एससीसी 654: [1984] 3 एस. सी. आर. 942; भारत संघ और अन्य। वी. राकेश कुमार और अन्य। , (2010) 4 एससीसी 50: [2010] 1 एस. सी. आर. 483; देग वेंकट हर्ष वर्धन और

ओआरएस। वी. अकुला वेंतक हर्षवर्धन और अन्य। , (2019) 12 एस. सी. सी. 735; एस. आर. चौधरी बनाम पंजाब राज्य और अन्य। ए. आई. आर. 2001 एस. सी. 2707; टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन और अन्य। वी. कर्नाटक राज्य और अन्य। (2002) 8 एससीसी 481: [2002] 3 पूरक। एस. सी. आर. 587; शोभा हेमवती देवी बनाम। सेट्टी गंगाधर स्वामी और अन्य। ए. आई. आर 2005 एस. सी. 800:

[2005] 1 एससीआर 848; अशोक कुमार ठाकुर बनाम। भारत संघ और ओआरएस। , (2008) 6 एससीसी 1: [2008] 4 एस. सी. आर. 1; बी. बसावलिंगप्पा बनाम। डी. म्यूनिचिन्नाप्पा, [1965] 1 एस. सी. आर. 316; भैयालाल बनाम। हरिकिशन सिंह [1965] 2 एस. सी. आर. 877; श्रीश कुमार चौधरी बनाम। त्रिपुरा राज्य और अन्य। ,

(1990) सप. एससीसी 220: [1990] एस. सी. आर. 576; पालघाट जिला थंदन समुद्र संरक्षण समिति और अन्र। वी. केरल राज्य और अन्र। , (1994) 1 एससीसी 359: [1993] 3 पूरक। एस. सी. आर. 872; हेखम सुरचंद्र सिंह और अन्य। वी. "लोइस" काकचिंग, मणिपुर के प्रतिनिधि (ए [2020] 10 एस।

अनुसूचित जाति उत्थान निकाय) और अन्य। , (1997) 2 एससीसी 523: [1996] 7 पूरक। एससीआर 371; श्री सूरत वलसाड जिला के. एम. जी. परिषद बनाम भारत संघ और अन्य। (2007) 5 एससीसी 360: [2007] 6 एससीआर 257; पुनीत राय बनाम। दिनेश

चौधरी (2003) 8 एस. सी. सी. 204 [2003] 2 पूरक। एस. सी. आर. 743; सुभाष चंद्र बनाम। दिल्ली अधीनस्थ

सेवा चयन बोर्ड, (2009) 15 एससीसी 458: [2009]

12 एससीआर 978; शंभू नाथ सरकार बनाम। पश्चिमी राज्य

बंगाल और ओआरएस। , (1973) 1 एस. सी. सी. 856 [1974] 1 एस. सी. आर. 1; बंगाल इम्युनिटी कंपनी लिमिटेड बनाम। बिहार राज्य और अन्य। [1955] 2 एस. सी. आर. 603; केशव मिल्स कं. लिमिटेड बनाम। आयकर आयुक्त, [1965] 2 एससीआर; भारत संघ और ए. एन. आर. वी. एलआर द्वारा रघुबीर सिंह (मृत)। आदि, (1989) 2 एस. सी. सी. 754: [1989] 3 एस. सी. आर. 316; गुडइयर इंडिया लिमिटेड और अन्य। वी. हरियाणा राज्य और अन्न। , (1990) 2

एससीसी 71: [1989] 1 पूरक। एस. सी. आर. 510; चेब्रोलु लीला प्रसाद राव और अन्य। वी. ए. पी. और अन्य का राज्य। , (2020) एससीसी

ऑनलाइन एससी 383; इंदिरा सॉनी और भारत संघ और ओआरएस। वी. राकेश कुमार और अन्य। , (2010) 4 एससीसी 50: [2010]

1 एस. सी. आर. 483-संदर्भित।

वाशिंगटन राज्य बनाम। डॉसन एंड कंपनी, 264 यू. एस. 219; डेविड बर्नेट बनाम। कोलोराडो ऑयल एंड गैस कंपनी 285 यू. एस

393 ; ग्रेव्स वी। न्यूयार्क राज्य के लोग-303 यू. एस. 466; मार्टिन बनाम। हंटर लीसी, 14 यू. एस. (1 व्हीट)

304 ; 4 एल. एड. 97 , 102 – संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[1992] 2 पूरक। एससीआर 454

उस पर भरोसा करें

पैरा 1

पैरा

(7) (ई।

[2018] 10 एससीआर 663

उस पर भरोसा करें

[1985] पूरक। एससीआर 352

पैरा

(7) (च)

उस पर भरोसा करें

[1963] 1 पूरक। एससीआर 439

पैरा

(7) (एफ

संदर्भित किया गया है

पैरा

(7) (एफ

[1976] 1 एससीआर 906

उस पर भरोसा करें

पैरा

(7) (जी

[2000] 5 पूरक। एससीआर 65

उस पर भरोसा करें

[2018] 10 एससीआर 513

पैरा

(7) (जी

संदर्भित किया गया है

[2006] 7 पूरक। एससीआर 336

संदर्भित किया गया है

पैरा (9) (पंजाब और ओ. आर. एस. का राज्य। वी. डेविंदर सिंह और हमारा

[2007] 1 एससीआर 706

पैरा

(9) (बी)

संदर्भित किया गया है

[1997] 3 पूरक। एससीआर 477

पैरा

(10) (डी)

उस पर भरोसा करें

[1995] 2 एससीआर 35

संदर्भित किया गया है

पैरा 16

[2017] 11 एससीआर 247

पैरा 16

संदर्भित किया गया है

[2019] 7 एससीआर 1086

संदर्भित किया गया है

पैरा 16

[1990] 2 एससीआर 843

पैरा

(20) (i)

संदर्भित किया गया है

[1984] 3 एससीआर 942

पैरा

(20) (ii)

संदर्भित किया गया है

[2010] 1 एससीआर 483

संदर्भित किया गया है

पैरा

(20) (iii)

(2019) 12 एससीसी 735

पैरा

(20) (iv)

संदर्भित किया गया है

ए. आई. आर. 2001 एस. सी. 2707

संदर्भित किया गया है

पैरा 21

[2002] 3 पूरक। एससीआर 587

संदर्भित किया गया है

पैरा 21

[2005] 1 एससीआर 848

पैरा 21

संदर्भित किया गया है

[2008] 4 एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पैरा 24

[1965] 1 एससीआर 316

पैरा

(31) (i)

संदर्भित किया गया है

पैरा 31

(ii)

[1965] 2 एससीआर 877

संदर्भित किया गया है

[1990] एससीआर 576

पैरा 31

(iii)

संदर्भित किया गया है

[1993] 3 पूरक। एससीआर 872

पैरा 31

(iv)

संदर्भित किया गया है

पैरा 31

(viii)

[1996] 7 पूरक। एससीआर 371

संदर्भित किया गया है

पैरा 31

(viii)

[2007] 6 एससीआर 257

संदर्भित किया गया है

[2003] 2 पूरक। एससीआर 743

पैरा 31

(ix)

संदर्भित किया गया है

पैरा 31

(x)

[2009] 12 एससीआर 978

संदर्भित किया गया है

[1974] 1 एससीआर 1

पैरा 32

(ए)

संदर्भित किया गया है

[1955] 2 एससीआर 603

पैरा 32

(एफ)

संदर्भित किया गया है

[1965] 2 एससीआर 908

पैरा 33

(ए)

संदर्भित किया गया है

[1989] 3 एससीआर 316

पैरा 33

(बी)

संदर्भित किया गया है

[2011] 3 एससीआर 366

उस पर भरोसा करें

पैरा 34

[1989] 1 पूरक। एस. सी. आर. 510 संदर्भित

पैरा 35

[2010] 1 एससीआर 483

संदर्भित किया गया है

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 2317

2011 से।

2009 के सी. डब्ल्यू. पी. सं. 18290 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांकित <आई. डी. 1 के निर्णय और आदेश से।

के साथ

सिविल अपील सं। 5586 , 5597 , 5589 , 5593 , 5600 , 5598 , 5587 , 5595 - 5596 2010 का 2324,2011 का 2318,2014 का 289,2015 का 6936,

विक्रमजीत बनर्जी, ए. एस. जी., अरुण भारद्वाज, ए. ए. जी. (हरियाणा), जयंत मुथराज, ए. ए. जी., रंजीत कुमार, राकेश कुमार खन्ना, मनोज स्वरूप, एम. एस. गणेश, शेखर नाफडे, निधेश गुप्ता, कॉलिन गोंजाल्विस, आर. वेंकटरमानी, संजय हेगड़े, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुश्री उत्तरा बब्बर,

सुश्री भावना दुहून, मनन बंसल, अंशुमन सिंह, ओ. पी. भदानी, आदित्य पी. खन्ना, राम्या खन्ना, अंकित स्वरूप, नीलमणि पंत, सुश्री विदिशा स्वरूप, रोहित कुमार सिंह, के. शेषचारी, अनंत कुमार वात्स्या, विनय कुमार मिश्रा, देवेंद्र सिंह, डॉ. मोनिका गुसैन, संजय कुमार विसेन, अभिषेक शर्मा, आनंद कन्नन एन., कमल मोहन गुप्ता, सत्येंद्र कुमार, एस. सी. पॉल, सुश्री रूपा पॉल, आर. के. सिंह, श्रीमती नीरज सिंह, कुमार गौरव, रितु रेनीवाल, पी. एस. बाघथ सिंह, वी. सुब्रमण्यम मदुरी, रॉबिन खोखर, गुरभजन सिंह, शोएब अहमद खान, अनीस अहमद खान, रोहित शर्मा, रूनक नायक, अतुल अग्रवाल, कुमार दुष्यंत सिंह, अनमोल चंदन, सौरभ मिश्रा, सुश्री श्रुति अग्रवाल, प्रशांत रावत, राज बहादुर यादव, गुरमीत सिंह मक्कर, बालाजी श्रीनिवासन, एम. योगेश कन्ना, सुश्री जपनीत कौर, सुश्री एस. जनानी, सिद्धार्थ सीम, पी. वेंकटेशन, सुश्री ज्योति मेंदिरत्ता, जी. बालाजी, बांके बिहारी शर्मा, परमानंद पांडे, कुलदिप सिंह, आर. वी. कामेश्वरन, विपिन कुमार जय, तुषार।

बख्शी, प्रांजल किशोर, शोवित सिंह, शिव पूजन सिंह, शेखर कुमार, डॉ. के. एस. चौहान, रवि प्रकाश, अजीत कुमार, संदीप मलिक, श्रीमती रेखा पांडे, पी. सोमा सुंदरम, अजीत कुमार एक्का, आर. एस. एम. कल्कि, सुनील कुमार, राहुल गुप्ता, नरेश बख्शी, कमल मोहन गुप्ता, संजय कुमार विसेन, सत्येंद्र कुमार, एस. सी. पॉल, सुश्री रूपा पॉल, आभास क्षेत्रपाल, सिद्धार्थ झा, राकेश दहिया, एस. गौतम, आनंद संजय एम. नुली, सूरज कौशिक, धरम सिंह (मेसर्स के लिए)।

नुली और नुली), पंजाब और ओआरएस का राज्य। वी. डेविंदर सिंह और हमारा।

के. परी वेंधन, ए. सुब्बा राव, श्रीमती निरंजना सिंह, दीपक आनंद, संजय जैन, बृज भूषण, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अरुण मिश्रा, जे।

1. तीन न्यायाधीशों की एक पीठ ने दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से मामले को विचार के लिए एक बड़ी पीठ को भेजा, जिसमें यह राय दी गई कि ई. वी. चिन्नैया बनाम मामले में 5-न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय। ए. पी. और अन्य का राज्य। , (2005) 1 एस. सी. सी. 394, पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 के आलोक में पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, और इंद्र साहनी और अन्य में कानून के स्पष्टीकरण का सही ढंग से पालन नहीं किया जाना चाहिए। वी. भारत संघ और अन्य। , 1992 पूरक। (3) एससीसी 217। यह ध्यान दिया गया कि इस मामले में भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 (1), 16 (4), 338 और 341 के बीच व्याख्या और परस्पर क्रिया शामिल है।

2. हम, पंजाब अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों (आरक्षण) की धारा 4 (5) की संवैधानिक वैधता पर विचार करने के लिए

निर्दिष्ट मामले में सेवाओं में) अधिनियम, 2006 (संक्षेप में, 'पंजाब अधिनियम') ने 4.2.2020 पर निम्नलिखित मुद्दों को तैयार कियाः

" i) क्या पंजाब में अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों (आरक्षण) की धारा 4 (5) के तहत प्रावधान हैं।

सेवा) अधिनियम, 2006 संवैधानिक रूप से मान्य है?

(ii) क्या राज्य के पास अधिनियम बनाने की विधायी क्षमता थी।

अधिनियम की धारा 4 (5) के तहत निहित प्रावधान?

iii) ई. वी. चिन्नैया बनाम में निर्णय। ए. पी. और अन्य का राज्य। (2005) 1 एस. सी. सी. 394 में रिपोर्ट किए जाने पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है? ”

3. पृष्ठभूमि तथ्य यह है कि पंजाब सरकार द्वारा

परिपत्र No.1818-एस. डब्ल्यू.-75/10451 दिनांकित <आई. डी. 1 में प्रावधान किया गया है कि अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों में से पचास प्रतिशत रिक्तियों की पेशकश बाल्मीकियों और मजहबी सिखों को की जाएगी। इस परिपत्र को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने 25.7.2006 के फैसले के माध्यम से रद्द कर दिया था। इस न्यायालय ने इसके खिलाफ एस. एल. पी. को 10.3.2008 पर खारिज कर दिया।

4. पंजाब अधिनियम को 5.10.2006 पर अधिसूचित किया गया था। पंजाब अधिनियम की धारा 4 (5) ने परिपत्र में किए गए समान प्रावधान किए, जो

मारा गया था। इसने निर्धारित किया कि सीधी भर्ती में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित कोटे की पचास प्रतिशत रिक्तियों को अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों में से पहली वरीयता प्रदान करके, उनकी उपलब्धता के अधीन, बाल्मीकियों और मजहबी सिखों को प्रदान किया जाएगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

5. पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने पंजाब अधिनियम की धारा 4 (5) में निहित प्रावधानों को रद्द कर दिया।

ई. वी. चिन्नैया में निर्णय के आधार पर दिनांकित 29.3.2010 का निर्णय।

6. पंजाब अधिनियम की धारा 4 (5) की संवैधानिक वैधता इस बात पर निर्भर करती है कि क्या इस तरह का कोई वर्गीकरण पंजाब अधिनियम के तहत किया जा सकता है।

अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का वर्ग या एक समरूप वर्ग के रूप में माना जाना चाहिए। क्या सबसे कमजोर और कमजोर लोगों को कोई और आरक्षण प्रदान करने की अनुमति नहीं है, विशेष रूप से जब सबसे कमजोर लोगों को आरक्षण का लाभ कम करना संभव नहीं है और इसका उपयोग समूह के भीतर उच्च वर्ग द्वारा किया जाता है, जो अपने वर्ग के भीतर असमानता पैदा करने वाले अधिकतम आरक्षण का लाभ उठाते हैं।

प्रस्तुतियाँः

7. पंजाब राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री रंजीत कुमार ने निम्नलिखित तर्क दिएः

(क) ई. वी. चिन्नैया में निर्णय गलती से आगे बढ़ा।

इस आधार पर कि अनुच्छेद 16 (4) के तहत कुछ अनुसूचित जातियों को प्राथमिकता देकर राज्यों द्वारा की गई सकारात्मक कार्रवाई के साथ छेड़छाड़

अनुच्छेद 341 के तहत राष्ट्रपति की सूची। केवल वरीयता देने से किसी भी तरह से सूची में छेड़छाड़, पुनर्व्यवस्था, उप-वर्गीकरण, गड़बड़ी या हस्तक्षेप नहीं होता है क्योंकि अनुच्छेद 341 के अर्थ के तहत अधिसूचित सूची में किसी भी जाति का कोई समावेश या बहिष्कार नहीं है। पंजाब अधिनियम को अनुच्छेद 16 (1) और 16 (4) के साथ अनुच्छेद 245 और 246 के तहत अधिनियमित किया गया है। पंजाब अधिनियम की धारा 4 (5) के प्रावधान राज्य की विधायी क्षमता के भीतर हैं।

(ख) ई. वी. चिन्नैया मामले में न्यायालय ने सही व्याख्या करने में गलती की।

एक वर्ग के भीतर उप-वर्गीकरण के प्रश्न पर इंद्र सावनी में बहुमत अनुपात। इंद्र सॉनी में नौ में से कम से कम पाँच न्यायाधीशों ने कहा कि पिछड़े लोगों में कुछ और पिछड़े हो सकते हैं, और जब राज्य ऐसा वर्गीकरण करने का विकल्प चुनता है, तो यह कानून में अनुमत होगा। स्पष्ट रूप से बहुमत में, यह माना गया था कि पिछड़े वर्ग

इस निवेदन के लिए कोई वारंट नहीं है कि अनुसूचित जातियों के भीतर कोई वर्गीकरण नहीं हो सकता है। (ग) अनुच्छेद 16 (4) में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सहित सभी पिछड़े वर्ग शामिल हैं। अनुच्छेद 16 (4) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति पंजाब और ओ. आर. एस. की स्थिति है।

वी. डेविंदर सिंह और हमारा। [अरुण मिश्रा, जे।]

जो अपने पिछड़ेपन के कारण राज्य की सेवाओं में अपर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व करते हैं। अनुच्छेद 16 (4) का दायरा अनुच्छेद 15 (4) की तुलना में इसके दायरे में व्यापक है। अनुच्छेद 16 (4) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "नागरिकों का पिछड़ा वर्ग" इसके दायरे में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को शामिल करता है। और सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग सहित अन्य पिछड़े वर्ग।

(घ) अनुच्छेद 14 के तहत तरजीही व्यवहार समानता का एक पहलू है। राज्य द्वारा अधिक पिछड़े लोगों को प्राथमिकता देने वाला कोई भी अधिनियम

पिछड़े लोगों के बीच अनुच्छेद 16 (4) के उद्देश्य को पूरा करता है। नौ में से छह

इंद्रा सॉनी के न्यायाधीशों ने अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 16 (4) अनुच्छेद 16 (1) का अपवाद नहीं है। कुछ अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को दिया जाने वाला तरजीही व्यवहार अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करता है। इसका उद्देश्य आनुपातिक समानता प्रदान करना है। वर्गीकरण बोधगम्य भिन्नता पर आधारित है। यह अंतर सरकारी सेवा में सभी अनुसूचित जातियों के समान प्रतिनिधित्व के उद्देश्य के साथ एक उचित संबंध रखता है, जिसे प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। विशिष्ट आरक्षण लाना आवश्यक है। असमान लोगों के बीच अवसर की वास्तविक समानता के बारे में और राज्य द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

(ङ) इस न्यायालय द्वारा अनुसूचित जातियों पर भी एक नई अवधारणा लागू की गई है। इंद्र सावनी के हालिया निर्णय पर विचार करते हुए जरनैल सिंह और अन्य में न्यायालय। वी. लक्ष्मी नारायण गुप्ता और अन्य। ,

(2018) 10 एस. सी. सी. 396 में यह अभिनिर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 16 (4) का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी पिछड़े वर्ग हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़ें और यह तब तक संभव नहीं होगा जब तक कि कुछ चुनिंदा लोग ही सरकार की सभी प्रतिष्ठित सेवाओं में चुने जाएँ। यह राय दी गई थी कि अनुच्छेद 341 और 342 में 'मलाईदार परत अवधारणा' के अनुप्रयोग के साथ छेड़छाड़ नहीं होती है राष्ट्रपति की सूची।

(च) ई. वी. चिन्नैया में निर्णय अन्य बाध्यकारी के विपरीत है।

के. सी. वसंत कुमार और अन्र जैसे निर्णय। वी. कर्नाटक राज्य, 1985 सप. एस. सी. सी. 714, जिसे इंद्र सावनी में अनुमोदित किया गया था। में।

एम. आर. बालाजी और अन्य। वी. मैसूर राज्य और अन्य। , 1963 सप. (1) एस. सी. आर. 439 में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अधिक पिछड़े वर्गों की सहायता के लिए पिछड़े और अधिक पिछड़े वर्गों के बीच उप-वर्गीकरण आवश्यक है। में।

ई. वी. चिन्नैया, केरल और अन्र राज्य में निर्णय। वी. एन. एम. थॉमस और अन्य। , (1976) 2 एस. सी. सी. 310 की ठीक से सराहना नहीं की गई। एन. एम. थॉमस में यह निर्धारित किया गया था कि आगे [2020] 10 एस. सी. आर. पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती।

एक वर्ग के भीतर वर्गीकरण। पुरुष अलग-अलग पैदा होते हैं, और आनुपातिक समानता प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार के अंतर उपचार की आवश्यकता होती है। (छ) यदि यह माना जाता है कि सभी जातियाँ अनुच्छेद 341 के भीतर सूची में होने के कारण सजातीय हैं, तो यह केवल जोड़ या हटाना है।

राज्य के लिए सूची के भीतर तरजीही उपचार देने की अनुमति किसी भी वर्ग के तुलनात्मक पिछड़ेपन के आधार पर, अनुच्छेद 341 में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो इसे प्रतिबंधित करता हो। अनुच्छेद 341 अनुच्छेद 16 (4) के तहत वरीयता देने के लिए प्रावधान करने की राज्य की शक्ति को नहीं छीनता है। इस तरह का तरजीही उपचार न केवल अनुमेय है बल्कि

समानता लाना आवश्यक है। इस प्रकार, ई. वी. चिन्नैया में निर्णय,

पाँच न्यायाधीशों की एक समन्वित पीठ द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसे पुनर्विचार के लिए एक बड़ी पीठ को भेजा जाना चाहिए क्योंकि संविधान के विभिन्न प्रावधानों की व्याख्या के प्रश्न में व्यापक लोक हित शामिल है और निर्णय पहले के निर्णयों के विपरीत है, कानून को निपटाने के लिए एक बड़ी पीठ को संदर्भित करना उचित है।

(क) ई. वी. चिन्नैया में निर्णय का सामान्य हितों पर अनुभवजन्य रूप से प्रदर्शन योग्य हानिकारक प्रभाव पड़ा है और रहेगा। जनता और समानता और समान अवसर के संबंध में संविधान के कानूनी दर्शन के साथ असंगत है। ई. वी. में निर्णय

चिन्नाया, जिसका मानना है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एक बार वर्गीकृत होने के बाद एक समरूप वर्ग हैं, को सामाजिक और सामाजिक वर्ग से हटा दिया गया है। आर्थिक वास्तविकता। यदि यह निर्णय जारी रहता है, तो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का एक बड़ा वर्ग इससे वंचित रहेगा।

अनुच्छेद 14 से 16 के तहत गारंटी। ई. वी. चिन्नैया के फैसले पर एक बड़ी पीठ द्वारा पुनर्विचार किया जाना चाहिए।

(ख) अनुच्छेद 14 से 16 नागरिकों के अधिकारों और दायित्वों की तिकड़ी का गठन करता है और समानता और सामाजिक न्याय चार्टर के रूप में कल्पना की जाती है। द.

इन अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए उपाय और तरीके, फैशन, नीतियां तैयार करने के लिए राज्य संबंधित दायित्वों के अधीन है। इन अधिकारों के बीच एक परस्पर क्रिया है जैसा कि इंद्र सॉनी में माना गया है। अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार और अनुच्छेद 15 और 16 के तहत समान अवसर के अधिकार पारस्परिक रूप से मजबूत करने वाले पहलू रहे हैं। राज्य को समुदाय के वंचित और कमजोर वर्गों की मुक्ति का कार्य करना चाहिए।

पंजाब राज्य और ओ. आर. एस. वी. डेविंदर सिंह और हमारा। [अरुण मिश्रा, जे।]

शिक्षा, स्वास्थ्य और सार्वजनिक रोजगार सभी अपार मूल्य की सार्वजनिक वस्तुएं हैं। इसलिए, राज्य/राज्यों को हमेशा अनुचित या अनुचित प्रयोगों से बंधे बिना सूचित प्रयोग करने की स्वतंत्रता की आवश्यकता होगी। असमान दावे। न्यायालय को सामाजिक गतिशीलता को ध्यान में रखना होगा और इस बात का ध्यान रखना होगा कि संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करते समय राज्य को जंजीरों से न बांधें या उसका हाथ न बांधें। कानून के शासन की मांग है कि राज्य कई प्रतिस्पर्धी दावों और हितों में सामंजस्य स्थापित करने और उन्हें संतुलित करने में सक्षम हो।

(ग) इंद्र सावनी में, "पिछड़े वर्ग" शब्द को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य सभी को शामिल करने के लिए घोषित किया गया है।

अनुच्छेद 16 (1) और 16 (4) के तहत अधिकार अनुमत हैं। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के भीतर शिक्षा और रोजगार प्राप्त करने, स्वास्थ्य सेवा का खर्च उठाने और समान सामाजिक स्थिति का आनंद लेने की उनकी क्षमता में अंतर और असमानताएं हैं। वे निर्विवाद रूप से एक वर्ग के भीतर वर्ग हैं। राज्य द्वारा प्रलेखित आंकड़ों से पता चलता है कि अंतर-असमानता बनी हुई है। यह राज्य/राज्यों के लिए पिछड़े वर्गों से निपटने के लिए खुला है प्रत्येक समूह या उप-वर्ग की जरूरतों के आधार पर और व्यापक असंतुलन को संभालें।

अंतर-असमानता की परवाह किए बिना आरक्षण। ई. वी. चिन्नैया के व्यापक कथन में अनुभवजन्य शब्दों में कोई स्पष्ट सत्य नहीं है और न ही है। स्वयं निर्णय के तहत समर्थित। ई. वी. चिन्नैया में निर्णय

यह नहीं कहा जा सकता कि यह इतने उच्च मानक के लिए निरपेक्ष है जो टकटकी के निर्णय पर आधारित है कि हमारी संवैधानिक समझ को स्थायी रूप से और न्यायिक घोषणा के स्थान पर रोक लगा दी जाए। श्री आर. वेंकटरमानी ने अपने संवैधानिक महत्व के मामलों में निर्णय लेने से संबंधित विभिन्न निर्णयों की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया है।

9. श्री एम. एस. गणेश, हरियाणा धनक सेवा समिति की ओर से पेश वरिष्ठ वकील, ने उपरोक्त का समर्थन करते हुए प्रस्तुतियों ने अतिरिक्त रूप से तर्क दिया किः

0] 10 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(क) ई. वी. चिन्नैया में निर्णय सुरंग दृष्टि से ग्रस्त है और इसमें तीक्ष्णता का अभाव है, और उन्होंने एम. नागराज और अन्य का उल्लेख किया है। वी. संघ का

भारत और ओआरएस। , (2006) 8 एससीसी 212। प्रभाव परीक्षण को संविधान के अनुच्छेद 366 (24) के संक्षिप्त परिभाषा खंड के साथ पठित अनुच्छेद 341 पर भी लागू किया जाना चाहिए। जाति, नस्लों के अनुच्छेद 341 में विनिर्देशन,

और जनजातियों को कानूनी कल्पना के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कानूनी कल्पना के उद्देश्य का पता लगाया जाना चाहिए, और फिर कल्पना को भ्रमित किए बिना इसे पूरा प्रभाव दिया जाना चाहिए। इसे उन उद्देश्यों से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है जिनके लिए विधायिका ने इसे बनाया है। अनुच्छेद 341 के तहत कानूनी कल्पना विनिर्देशन तक सीमित है। सूची में उल्लिखित अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण से विनिर्देशन प्रभावित नहीं होता है।

(ख) राज्य की सेवाओं में जिन जातियों को आगे आरक्षण दिया जाता है, उनका प्रतिनिधित्व नहीं होता है। ई. वी. चिन्नैया में निर्णय को ऐसा नहीं कहा जा सकता है

आई. आर. कोएल्हो बनाम में निर्णय को ध्यान में रखते हुए अच्छा कानून निर्धारित किया जाए। टी. एन. राज्य, (2007) 2 एस. सी. सी. 1. ई. वी. चिन्नैया में दृष्टिकोण और तर्क यह था कि अनुसूचित जातियों के लिए अनुच्छेद 341 संविधान का आधार था।

अनुच्छेद 15 (4) और 16 (4) द्वारा गारंटीकृत अधिकार और प्रमुख अधिकार था जिसके लिए अनुच्छेद 14 से 16 अधीन थे। (ग) ई. वी. चिन्नैय्या ओकाम के रेज़र एंटिया नॉन सन्ट मल्टीप्लिकैंडा प्रेटर की आवश्यकता के अधीन है (संस्थाओं को नहीं होना चाहिए

आवश्यकता को छोड़कर गुणा किया जाता है), जिसका अर्थ है कि विश्लेषण किए जा रहे विषय के सभी अनावश्यक या घटकों को समाप्त किया जाना है। सूची में शामिल करना प्रवर्तन और प्रभाव को निर्धारित नहीं कर सकता है।

उन निर्दिष्ट जातियों, नस्लों या समूहों के बीच अनुच्छेद 15 (4) और 16 (4) द्वारा गारंटीकृत अधिकारों के राज्य द्वारा। की नियुक्ति समाज के व्यवहार संबंधी संबंधों में नैतिक सिद्धांतों की महत्वपूर्ण भूमिका अरस्तू, एक्विनास, ओखाम और अर्थशास्त्र से लेकर अमर्त्य सेन द्वारा 'द आइडिया ऑफ जस्टिस' में संदर्भित की गई है।

(घ) कि अनुच्छेद 15 (4) और 16 (4) अपने आप में मूल और सक्षम प्रावधान हैं। प्रदत्त शक्ति किसी भी तरह से सीमित नहीं है।

मुख्य प्रावधान द्वारा, लेकिन इसके बाहर आता है। इसने कोई अपवाद नहीं बनाया है, लेकिन अनुच्छेद के अन्य प्रावधानों द्वारा अनियंत्रित शक्ति को संरक्षित किया है। अनुच्छेद 46 के तहत राज्य के हाथों को रोका नहीं जा सकता है जैसा कि ई. वी. चिन्नैया ने किया था। ई. वी. में चिन्नैया ने उस भाग के प्रावधानों की भूमिका के भाग-XVI की प्रकृति को नजरअंदाज कर दिया है।

(ई) यदि ई. वी. चिन्नैया एक अच्छा कानून है, तो इसकी समस्याएँ अनुच्छेद 342 ए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने की संभावनाओं को जन्म देती हैं। संविधान द्वारा जोड़ा गया (एक सौ दूसरा संशोधन)

पंजाब राज्य और ओ. आर. एस. वी. डेविंदर सिंह और हमारा। [अरुण मिश्रा, जे।]

अधिनियम, 2018 में संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 की व्याख्या पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।

10. विद्वान वरिष्ठ वकील श्री नीदेश गुप्ता ने तर्क दिया किः

(क) संविधान के अनुच्छेद 341 (2) और 342 (2) के तहत किसी राज्य को वरीयता देने पर कोई रोक नहीं है। संविधान केवल वरीयता की मनाही नहीं करता है। राज्य सरकार शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती है। समावेशन और बहिष्करण से संबंधित। इस न्यायालय ने इंद्र सावनी मामले में अनुच्छेद 16 (4) के तहत पिछड़े और अधिक पिछड़े वर्ग के वर्गीकरण पर रोक लगा दी।

(ख) एम. नागराज और जरनैल सिंह में,

अनुच्छेद 16 (4) के तहत अनुसूचित जातियों की मलाईदार परत की अनुमति दी गई थी। मलाईदार परत में आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक और अन्य कारक शामिल हैं। इसलिए, अनुसूचित जातियों में सबसे पिछड़े बाल्मिकी और मजहबी सिखों को दी जाने वाली प्राथमिकता वास्तव में मलाईदार परत के सिद्धांत का एक अनुप्रयोग है।

(ग) अनुच्छेद 16 (4), 16 (4 ए), 335,341 और 342 को पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि आरक्षण के हर चरण में राज्यों की भूमिका है।

प्रक्रिया। इसलिए, यह संवैधानिक योजना के विपरीत होगा कि उन्हें केवल अनुसूचित जातियों में सबसे पिछड़े लोगों को प्राथमिकता देने में भूमिका से वंचित किया जाए।

((घ) नागरिकों के एक वर्ग को सामाजिक और सामाजिक नहीं माना जा सकता है।

हमेशा के लिए शैक्षिक रूप से पिछड़े। वर्ग को हमेशा एक निश्चित समय पर मौजूदा तथ्य स्थिति के आलोक में आंका जाना आवश्यक है, जैसा कि जगदीश नेगी, अध्यक्ष, उत्तराखंड जन मोर्चा और

एन. आर. वी. उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश का राज्य , (1997) 7 एससीसी 203।

11. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शेखर नाफडे ने समिति द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया

जिस पर तमिलनाडु राज्य में अनुसूचित जातियों के अधिक पिछड़े लोगों को आरक्षण प्रदान किया गया है। उन्होंने तर्क दिया किः

(क) अरुंथथियार समुदाय सबसे निचली जाति है। वह.

में समूह के प्रतिनिधित्व की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया

राज्य सरकार के विभागों और शैक्षणिक पाठ्यक्रमों और समिति द्वारा अनुशंसित आरक्षण सूत्र। तमिलनाडु अरुंथथियार (निजी शैक्षणिक संस्थानों और नियुक्तियों या पदों सहित शैक्षणिक संस्थानों में सीटों का विशेष आरक्षण)

अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण के भीतर राज्य के तहत सेवाएं)

0] 10 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(ग) आरक्षण देने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में राज्य की विधायी क्षमता अनुच्छेद 246 (2) और 246 (3) से प्रवाहित होती है जिसे सूची II में प्रविष्टि 41 और सूची III में प्रविष्टि 25 के साथ पढ़ा जाता है। अनुच्छेद 341 राज्य में आरक्षण का प्रावधान करने वाली कानून बनाने की राज्य की विधायी शक्ति को निरस्त नहीं करता है। राज्य लोक सेवा या राज्य लोक सेवा आयोग में रोजगार। शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण प्रदान करने वाला कानून बनाना राज्य के लिए खुला है।

(घ) अनुच्छेद 341 के तहत प्रतिबंध सीमित है, जो जातियों के समावेश और बहिष्कार से संबंधित है। ई. वी. चिन्नैया में निर्णय असमानताओं का इलाज करता है

समान रूप से। इस कानून का उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों में सुधार करना है। जातियाँ और उनके सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन को समाप्त करें और उनके बीच फल समान रूप से वितरित करें। विशेष आरक्षण अधिक सार्थक सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए है। असमान लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जा सकता है। विभेदकारी व्यवहार को भेदभावपूर्ण नहीं कहा जा सकता है।

12. विद्वान वकील सुश्री ज्योति मेंदिरत्ता ने विभिन्न रिपोर्टों की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया और तर्क दिया कि ई. वी. चिन्नैया में

तथ्य, सजातीय नहीं। (क) विद्वान वकीलों ने हमारा ध्यान न्यायमूर्ति एम. एस. जनार्दनम कमेटी ऑफ इन्क्वायरी फॉर स्पेशल रिजर्वेशन की रिपोर्ट की ओर आकर्षित किया।

अरुंथथियार। वे आरक्षण का फल प्राप्त करने में सक्षम नहीं थे क्योंकि अनुसूचित जातियों के भीतर ऊपरी परत थी, और अधिकांश पद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित थे, हालांकि अरुन्धथियार अनुसूचित जाति की आबादी का 16 प्रतिशत थे, वे आरक्षण प्राप्त करने में कामयाब रहे। राज्य सेवाओं और शैक्षणिक संस्थानों में अरुंथथियार समुदाय के प्रतिनिधित्व के आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं।

(ख) न्याय की रिपोर्ट की ओर हमारा ध्यान आकर्षित हुआ।

रामचंद्र राजू समिति, जिसमें यह देखा गया था कि पंजाब और ओ. आर. एस. का राज्य है।

वी. डेविंदर सिंह और हमारा। [अरुण मिश्रा, जे।]

अनुसूचित जाति समुदायों में समुदायों का समूह सबसे पिछड़ा हुआ था।

(ग) विद्वान अधिवक्ता ने न्यायमूर्ति उषा मेहरा समिति की रिपोर्ट (2008) की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया, जो दर्शाती है कि अनुसूचित जातियाँ देश में अपने सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ेपन के संबंध में एक समान वर्ग का गठन नहीं करती हैं। व्यक्तिगत सामाजिक समूह अनुसूचित जाति की सूची में जन्म की घटना से अधिकांश पारंपरिक व्यवसाय विरासत में मिलते हैं।

हालांकि विशेष सहायता के सबसे अधिक योग्य। रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया था कि योजना और विकास के मामलों में, लाभों के वितरण पर अधिक पिछड़े और छोटे समूहों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है चयनात्मक आधार। ई. वी. चिन्नैया में, अनुच्छेद 341 के दायरे की सही ढंग से सराहना नहीं की गई थी कि तर्कसंगत अंतर के आधार पर जाति के बीच आरक्षण के प्रतिशत के आवंटन के संबंध में राज्य की शक्ति को नजरअंदाज कर दिया गया था।

13. वरिष्ठ अधिवक्ता श्री संजय आर. हेगड़े ने ई. वी. चिन्नैया का समर्थन करते हुए तर्क दिया किः (क) अकेले संसद के पास अनुसूची में सूचीबद्ध जातियों को बाहर करने की शक्ति है। उन्होंने डॉ. अम्बेडकर के भाषण की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है।

संविधान सभा में अनुच्छेद 341 और 342 के उद्देश्य के संबंध में। इसका उद्देश्य राष्ट्रपति द्वारा प्रकाशित अनुसूची में गड़बड़ी के मामले में किसी भी प्रकार के राजनीतिक कारकों को समाप्त करना है। बाध्यकारी पूर्ववर्ती सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, ई. वी. चिन्नैया में निर्णय पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता नहीं है जिसमें एक संभावित दृष्टिकोण लिया गया है। कानूनों के निर्माण से संबंधित निर्णय को अपवादात्मक मामलों को छोड़कर खारिज नहीं किया जाना चाहिए। यदि निर्णय को खारिज कर दिया जाता है तो अप्रत्याशित परिणाम सामने आएंगे। इसे फिर से देखने की आवश्यकता है यदि यह बड़ी अनिश्चितता का कारण बनता है, या यह किसी व्यापक मुद्दे या सिद्धांत से संबंधित है, या यह अन्यायपूर्ण या पुराना है, अन्यथा नहीं।

(ख) इंद्र साहनी में उप-वर्गीकरण सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों तक सीमित था। यह देखा गया कि इनमें से कोई भी

टिप्पणियाँ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर लागू होंगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अनुच्छेद 16 (4) के प्रावधानों के कारण पिछड़े हुए हैं। सामाजिक परीक्षण या आवश्यकता और [2020] 10 एस. सी. आर.

शैक्षिक पिछड़ेपन को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं किया जा सकता है। इंद्र साहनी के निर्णय को ई. वी. चिन्नैया में सही परिप्रेक्ष्य में समझा गया था। (ग) एन. एम. थॉमस में यह माना गया था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पिछड़े वर्ग हैं। कोई उप-वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। सूची से बाहर करना संसद का विशेषाधिकार है। अनुच्छेद 341 (1) का उद्देश्य अनुसूचित जातियों के सदस्यों को आर्थिक और शैक्षिक पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करना है जिससे वे पीड़ित हैं। राष्ट्रपति के आदेश में अदालत भी कोई बदलाव नहीं कर सकती है। यह निर्धारित करने के लिए किसी भी जांच की अनुमति नहीं है कि क्या कोई विशेष समुदाय सूची के भीतर आता है या इसके बाहर है जैसा कि महाराष्ट्र राज्य में निर्धारित किया गया है। मिलिंद और ओआरएस। , (2001) 1 एस. सी. सी 4.

(घ) अनुच्छेद 341 के तहत बनाई गई कानूनी कल्पना को पूर्ण प्रभाव दिया जाना है। पंजाब अधिनियम की धारा 4 (5) के प्रावधानों को संवैधानिक रूप से वैध नहीं कहा जा सकता है। राज्यपालों को केवल बनाने का अधिकार है

सूची में परिवर्तन के लिए अनुच्छेद 341 के तहत सिफारिशें। अनुच्छेद 16 (4) के तहत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को शामिल करने के बाद आगे कोई वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है।

(ङ) अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के बीच अंतर है। अनुसूचित जातियाँ अछूत हैं जैसा कि माना जाता है

जिनसे वे पीड़ित हैं। यह संसद या राज्यों के विधानमंडलों के लिए खुला नहीं है कि वे अनुसूची में शामिल होने के बाद अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के बीच वर्गीकरण करें। संसद को राष्ट्रपति की सूची से किसी भी जाति को शामिल करने या बाहर करने का अधिकार है। अनुच्छेद 341 (1) अनुसूचित जातियों के सदस्यों को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 16 (4) के तहत शक्तियों का प्रयोग अनुच्छेद 341 के तहत नहीं किया जा सकता है। 14. विद्वान वकील श्री तुषार बख्शी ने तर्क दिया कि सूची की एक प्रविष्टि में समूहीकृत जाति में उप-वर्गीकरण की अनुमति नहीं है। सूची में एक जाति समूह को छोड़ने की अनुमति नहीं है। शक्ति का प्रयोग दुर्भावनापूर्ण तरीके से किया गया है।

15. प्रत्यर्थियों की ओर से पेश विद्वान वकील श्री ए. सुब्बा राव ने तर्क दिया कि संविधान (पंजाब और ओआरएस का एक सौ दूसरा राज्य)।

वी. डेविंदर सिंह और हमारा। [अरुण मिश्रा, जे।]

संशोधन) अधिनियम, 2018 11.8.2018 पर लागू हुआ। अनुच्छेद 338 बी को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करते हुए जोड़ा गया था। विचार के लिए वास्तविक प्रश्न अनुच्छेद 14,15,16,338,338 ए, 338 बी, 341,342,342 ए, 366 (24) और 366 (26 सी) की व्याख्या है। अकेले संसद के पास अनुसूचित जातियों से निपटने की शक्ति है

राष्ट्रपति अनुसूचित जातियों की सूची को अधिसूचित करते हैं। उन्होंने बीर सिंह पर भरोसा किया कि

प्रस्तुत करें कि ई. वी. चिन्नैया का निर्णय सही है। निर्धारण के लिए मूल प्रश्न संघवाद का है। सूची में संशोधन करने के लिए संसद को दी गई शक्तियों को संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या से कम या कमजोर नहीं किया जा सकता है। एक बड़ी पीठ का संदर्भ बिल्कुल भी उचित नहीं है।

16. विद्वान वकील डॉ. के. एस. चौहान ने तर्क दिया कि ई. वी. चिन्नैया में कानून का निपटारा कर दिया गया है। राज्य सरकार के पास सूची में जातियों को शामिल करने या बाहर करने की कोई शक्ति नहीं है। संविधान अधिकार नहीं देता है

सूची में गिनाई गई जातियों को वर्गीकृत या उप-वर्गीकृत करने के लिए संघ या राज्य। कोई भी उप-वर्गीकरण अनुच्छेद 341 (1) के तहत सूची को बदलने के समान हो सकता है। इंद्र साहनी में लिया गया दृष्टिकोण यह है कि जातियाँ

गिनती में जातियाँ नहीं हैं, ये वर्ग हैं। विद्वान वकील ने वर्ग और जाति के बीच के अंतर की ओर इशारा किया है। एन. एम. थॉमस में, यह निर्धारित किया गया था कि अनुसूचित जातियाँ जातियाँ नहीं हैं, वे वर्ग हैं। इसलिए, उन्होंने तर्क दिया कि उन्हें आगे वर्गीकृत नहीं किया जाना चाहिए। एन. एम. थॉमस के निर्णय में तय सिद्धांत है

एम. नागराज पर त्रिपुरा और अन्य राज्यों में भी संदेह था। वी. जयंत चक्रवर्ती और अन्य। , (2018) 1 एस. सी. सी. 146. जरनैल सिंह के मामले में संविधान पीठ द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण बहुत ही अल्पकालिक रहा। बी. के. पवित्रा और अन्य तक। वी. भारत संघ और अन्य। , (2019) 16 एससीसी 129। एम. नागराज को एक बड़ी पीठ के पास भेजा जाना चाहिए था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

17. विद्वान वकील श्री रॉबिन खोखर ने तर्क दिया कि 2009 के आई. एन. डी. ए. अधिनियम संख्या 4 के आधार पर, तमिलनाडु सरकार ने अनुसूचित जाति अरुथथियार की सूची में 76 जातियों में से टी. एस. को शामिल किया, वर्गीकरण का प्रयोग नहीं किया जा सकता था। यही संविधान और अनुच्छेद 341 की मूल विशेषता का उल्लंघन है। विधायी उपएकीकरण संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य है।

चर्चाः

18. ई. वी. चिन्नैय्या में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अनुसूचित जातियाँ उदार वर्ग बनाती हैं और कोई उप-विभाजन नहीं हो सकता है और ड्रा साहनी के संबंध में निम्नलिखित चर्चा की गई थीः

" 38. प्रत्यर्थियों की ओर से, यह बताया गया कि इंदिरा साहनी मामले में, 1992 सप्लीमेंट। (3) एस. सी. सी. 217, न्यायालय ने अन्य पिछड़े समुदायों के पिछड़े के रूप में उपवर्गीकरण की अनुमति दी थी। और अधिक पिछड़े अपने तुलनात्मक अविकसितता के आधार पर, इसलिए अनुसूचित जातियों की राष्ट्रपति सूची में गिने गए वर्ग के बीच समान वर्गीकरण कानून में अनुमत है। हमें नहीं लगता कि इंदिरा साहनी मामले, 1992 में निर्धारित सिद्धांत पूरक हैं। (3) एस. सी. सी. 217, अन्य पिछड़े वर्गों के उपवर्गीकरण के लिए राष्ट्रपति सूची में अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण या उपसमूह के लिए एक पूर्ववर्ती कानून के रूप में लागू किया जा सकता है क्योंकि उसी निर्णय में विशेष रूप से यह अभिनिर्धारित किया गया है कि

अन्य पिछड़े वर्ग अनुसूचित जातियों पर लागू नहीं होते हैं।

और अनुसूचित जनजातियाँ। हम समझते हैं कि इसका स्पष्ट कारण यह है कि संविधान ने स्वयं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों को रखा है।

जनजातियों को राज्य सरकारों के हस्तक्षेप से सूचीबद्ध किया जाता है।

41. राष्ट्रपति के आदेश में दी गई जातियों के समूह को, हमारी राय में, समग्र रूप से एक वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाला माना जाना चाहिए। हमारी राय में उच्च न्यायालय का विपरीत दृष्टिकोण सही नहीं था। यह तथ्य कि एक कानूनी कल्पना बनाई गई है, अपने आप में इस तथ्य का संकेत है कि किसी राज्य की विधायिका ऐसा नहीं कर सकती है।

कोई भी कार्रवाई करना जो इसके विपरीत या असंगत हो

इसके साथ। विभिन्न जातियों या जनजातियों या समूह या उसके कुछ हिस्से को किसी राज्य में एक समूह के रूप में रखने का विचार डीमिंग परिभाषा से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि उन्हें नहीं होना चाहिए

आगे उपविभाजित या उपवर्गीकृत। यदि अनुसूचित जाति के सदस्यों के एक वर्ग के भीतर एक वर्ग बनाया जाता है, तो यह सूची के साथ छेड़छाड़ करने के बराबर होगा। इस तरह का उपवर्गीकरण संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा। यह सच हो सकता है, जैसा कि पंजाब और ओ. आर. एस. ने कहा है।

वी. डेविंदर सिंह और हमारा। [अरुण मिश्रा, जे।]

उच्च न्यायालय द्वारा कहा गया है कि जाति व्यवस्था समाज में अटक गई है, लेकिन इसके बुरे प्रभाव को दूर करने के उद्देश्य से, एक ऐसा कानून जो इसका जवाब नहीं देता है

संवैधानिक योजना को बरकरार नहीं रखा जा सकता है। सहमत होना भी मुश्किल है।

उच्च न्यायालय के साथ कि पहचान करने के उद्देश्य से पिछड़ेपन के कारण, एक आयोग नियुक्त करके आगे की जांच की जा सकती है कि अनुसूचित जातियों के सदस्यों में से कौन अधिक पिछड़ा है। यदि आरक्षण का लाभ उन्हें समान रूप से नहीं मिल रहा है, तो यह देखने के लिए उपाय किए जाने चाहिए

कि उन्हें ऐसा पर्याप्त या अतिरिक्त प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होगा कि आरक्षण को तर्कसंगत बनाने की प्रक्रिया में

अनुसूचित जातियाँ अनुच्छेद 14,15 का संवैधानिक अधिदेश

और 16 का उल्लंघन किया जा सकता है। ई. वी. में एस. बी. सिन्हा, जे. द्वारा निम्नलिखित राय व्यक्त की गई।

नायाह का उल्लेख किया गया हैः

" 113. पिछड़े वर्गों को नौकरियों या शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का लाभ देने के संबंध में निर्णय लेने की राज्य विधानमंडल की शक्ति पर कोई विवाद नहीं है। इसके अलावा यह विवाद में नहीं है कि यदि ऐसा निर्णय लिया जाता है तो राज्य अनुसूचित जातियों सहित पिछड़े वर्गों के विभिन्न सदस्यों के लिए किए जाने वाले आरक्षण की सीमा के संबंध में एक विधायी नीति भी निर्धारित कर सकता है। लेकिन यह इस आधार पर उक्त लाभ को नहीं छीन सकता है कि अनुसूचित जातियों के सदस्यों में से एक या दूसरा समूह आगे बढ़ गया है और इस प्रकार, आरक्षण के पूरे लाभ का हकदार नहीं है। इस प्रकार, विवादित कानून को माना जाना चाहिए असंवैधानिक "।

19. इनमें से एक सवाल यह है कि क्या ई. वी. चिन्नैया ने इंदिरा साहनी में बहुमत के फैसले को सही ढंग से स्वीकार किया। यह तर्क दिया गया थाइंद्र साहनी में, न्यायाधीशों के बहुमत का मानना था कि वार्ड में कुछ और पिछड़े हो सकते हैं, और यदि राज्य चाहे तो

इस तरह के वर्गीकरण के लिए, यह कानून में अनुमत होगा।

(क) बी. पी. जीवन रेड्डी, जे. (अपने लिए) की राय निम्नलिखित है।

इंद्र साहनी में अन्य तीन न्यायाधीश):

" प्रश्न संख्या 5:

क्या पिछड़े वर्गों को आगे विभाजित किया जा सकता है

पिछड़े और अधिक पिछड़े वर्ग?

801. बालाजी, 1963 सप्लीमेंट 1 एससीआर 439 में, यह आयोजित किया गया थाः

" कि पिछड़े वर्गों और अधिक पिछड़े वर्गों के बीच आदेश द्वारा किया गया उप-वर्गीकरण नहीं है

अनुच्छेद 15 (4) के तहत उचित प्रतीत होता है। अनुच्छेद 15 (4)

वास्तव में पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान को अधिकृत करता है। पिछड़े वर्गों की दो श्रेणियों को लागू करने में, विवादित आदेश का उद्देश्य, वास्तव में, राज्य के सबसे उन्नत वर्गों की तुलना में कम उन्नत नागरिकों के सभी वर्गों के लाभ के लिए उपाय करना है, और यह कि, हमारी राय में, अनुच्छेद 15 (4) का दायरा नहीं है। विवादित आदेश द्वारा अपनाई गई पद्धति का परिणाम यह है कि राज्य की लगभग 90 प्रतिशत आबादी को पिछड़े के रूप में माना जाता है, और यह दर्शाता है कि कैसे यह क्रम वास्तव में राज्य की आबादी को सबसे उन्नत और बाकी में विभाजित करता है, और बाद वाले को पिछड़े और पिछड़े की दो श्रेणियों में रखता है।

पीछे की ओर। अतः दोनों श्रेणियों का वर्गीकरण अनुच्छेद 15 (4) द्वारा समर्थनीय नहीं है। " (एस. सी. आर पी. 465-66)

इस स्वामित्व की शुद्धता पर हमारे सामने सवाल उठाया गया है

उत्तरदाताओं के लिए परामर्श। यह प्रस्तुत किया जाता है कि सैद्धांतिक रूप से उक्त धारण के लिए कोई औचित्य नहीं है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि पिछड़े वर्गों में भी कुछ ऐसे हैं जो दूसरों की तुलना में अधिक पिछड़े हैं और पिछड़ेपन नहीं है और न ही हो सकता है।

पूरे देश में और न ही किसी राज्य के भीतर भी वर्दी। इस तर्क के समर्थन में, प्रतिवादी वसंत कुमार, 1985 सप एस. सी. सी. 714 में चिन्नाप्पा रेड्डी, जे. की टिप्पणियों पर भरोसा करते हैं, जहाँ विद्वान न्यायाधीश ने कहाः (एस. सी. सी पी. 750, पैरा 55)

“ [हम यह नहीं समझते कि सैद्धांतिक रूप से पिछड़े वर्गों और अधिक पिछड़े वर्गों में वर्गीकरण क्यों नहीं किया जा सकता है। यदि दोनों वर्ग केवल थोड़े पीछे नहीं हैं, बल्कि सबसे उन्नत वर्गों से बहुत पीछे हैं। वास्तव में अधिक पिछड़े वर्गों की मदद के लिए इस तरह का वर्गीकरण आवश्यक होगा; अन्यथा वे

पिछड़े वर्गों में से जो अधिक पिछड़े वर्गों की तुलना में थोड़ा अधिक उन्नत हो सकते हैं, वे सभी सीटों के साथ चले जा सकते हैं।

802. हमारी राय है कि पिछड़े वर्गों को पिछड़े और अधिक पिछड़े के रूप में वर्गीकृत करने वाले राज्य के लिए कोई संवैधानिक या कानूनी बाधा नहीं है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि यह किया जाना चाहिए। हम इस सवाल से चिंतित हैं कि क्या कोई राज्य ऐसा पंजाब और ओ. आर. एस. राज्य बनाता है।

वी. डेविंदर सिंह और हमारा। [अरुण मिश्रा, जे।]

वर्गीकरण, क्या यह अमान्य होगा? हम नहीं सोचते हैं। आइए हम मंडल आयोग द्वारा विकसित मानदंडों को लें। कोई भी जाति, समूह

या जिस वर्ग ने ग्यारह या अधिक अंक प्राप्त किए थे, उन्हें पिछड़े वर्ग के रूप में माना जाता था। अब, ऐसा नहीं है कि सभी हजारों जातियों/समूहों/वर्गों ने समान अंक प्राप्त किए हैं। कुछ जातियाँ/समूह/वर्ग हो सकते हैं जिन्होंने 20 से 22 के बीच अंक प्राप्त किए हों और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने ग्यारह से तेरह के बीच अंक प्राप्त किए हों। इस बात से उचित रूप से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इन दो जातियों/समूहों/वर्गों के बीच कोई अंतर नहीं है। को। एक उदाहरण दें, दो व्यावसायिक समूहों को लें। , सुनार और वाडे (आंध्र प्रदेश में पारंपरिक पत्थर काटने वाले) दोनों को अन्य पिछड़े वर्गों में शामिल किया गया है। कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि सुनार वाड्डों की तुलना में बहुत कम पिछड़े होते हैं। अगर दोनों

एक साथ समूहीकृत किया जाता है और आरक्षण प्रदान किया जाता है, अपरिहार्य परिणाम

ऐसा होगा कि सुनार सभी आरक्षित पदों को छीन लेंगे और कोई भी पद वाड्डियों के लिए नहीं छोड़ेंगे। ऐसी स्थिति में, कोई राज्य अन्य पिछड़े वर्गों के बीच भी वर्गीकरण करना उचित समझ सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पिछड़े वर्गों में से अधिक पिछड़े लोगों को उनके लिए इच्छित लाभ प्राप्त हों। हालांकि, रेखा कहाँ खींची जाए और उप-वर्गीकरण को कैसे प्रभावित किया जाए, यह आयोग और राज्य के लिए एक मामला है और इसलिए जब तक यह उचित रूप से किया जाता है, न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इस संबंध में, प्राप्त करने वाले वर्गीकरण का संदर्भ दिया जा सकता है।

आंध्र प्रदेश में। पिछड़े वर्गों को चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है। समूह ए में "आदिवासी जनजातियाँ, विमुक्त जातियाँ, खानाबदोश और अर्ध-खानाबदोश जनजातियाँ आदि" शामिल हैं। समूह बी में पेशेवर समूह जैसे टैपर, बुनकर, बढ़ई, लोहार, सुनार, कामसालिन आदि शामिल हैं। समूह सी "ईसाई धर्म में परिवर्तित अनुसूचित जातियों और उनकी संतानों" से संबंधित है, जबकि समूह डी में अन्य सभी वर्ग/समुदाय/समूह शामिल हैं, जो समूह ए, बी और सी में शामिल नहीं हैं। पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित 25 प्रतिशत रिक्तियां उनकी संबंधित आबादी के अनुपात में उनके बीच उप-विभाजित हैं। इस वर्गीकरण को बलराम, (1972) 1 एस. सी. सी. 660 में उचित ठहराया गया था। यह केवल यह दिखाने के लिए है कि पिछड़े वर्गों के बीच भी एक उप हो सकता है

उचित आधार पर वर्गीकरण।

803. इस मुद्दे को देखने का एक और तरीका है। अनुच्छेद 16 (4) केवल एक वर्ग को मान्यता देता है। , " नागरिकों का पिछड़ा वर्ग "। यह.

अनुसूचित जाति और अनुसूचित [2020] 10 एस. सी. आर. के बारे में अलग से नहीं बोलता है।

जनजातियाँ, जैसा कि अनुच्छेद 15 (4) करता है। फिर भी, यह विवाद से परे है

कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को भी इसमें शामिल किया गया है

अभिव्यक्ति "नागरिकों का पिछड़ा वर्ग" और वह अलग

उनके पक्ष में आरक्षण प्रदान किया जा सकता है। यह एक अच्छी तरह से स्वीकृत है

पिछड़े वर्ग एकजुट हैं, ओ. बी. सी. सभी को छीन लेंगे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को छोड़ने वाली रिक्तियां

उच्च और शुष्क। वही तर्क भी वर्गीकरण की गारंटी देता है

अधिक पिछड़े और पिछड़े के बीच। हम कहना नहीं चाहते हैं

- हम दोहरा सकते हैं कि ऐसा किया जाना चाहिए। हम केवल

यह कहते हुए कि यदि कोई राज्य ऐसा करने का विकल्प चुनता है, तो इसकी अनुमति नहीं है

कानून।

भाग VII

859. हम विभिन्न प्रश्नों के अपने उत्तरों को संक्षेप में प्रस्तुत कर सकते हैं।

ऊपर से निपटा गया और जवाब दिया गयाः (1) **

(2) **

(3) (क) एक जाति भारत में एक सामाजिक वर्ग हो सकती है और अक्सर होती है। अगर यह सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए एक पिछड़ा वर्ग होगा

अनुच्छेद 16 (4) के उद्देश्य। गैर-हिंदुओं में, कई हैं

व्यावसायिक समूह, संप्रदाय और संप्रदाय, जो ऐतिहासिक रूप से

कारण, सामाजिक रूप से पिछड़े हैं। वे भी पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं।

अनुच्छेद 16 (4) के प्रयोजनों के लिए सामाजिक समूह। (पारस 746

779 तक)

***

***

***

(घ) 'मलाईदार परत' हो सकती है और इसे बाहर रखा जाना चाहिए। (पारस 790

793) (5) पिछड़े वर्गों को वर्गीकृत करने के लिए कोई संवैधानिक प्रतिबंध नहीं है

नागरिकों को पिछड़े और अधिक पिछड़े वर्गों में विभाजित करना। (पारस 801 803 तक) "

(जोर दिया गया)

(ख) पी. बी. सावंत, जे. (अपने लिए) द्वारा व्यक्त की गई राय है

यहाँ नीचे लिखा हैः

पंजाब राज्य और ओ. आर. एस. वी. डेविंदर सिंह और हमारा। [अरुण मिश्रा, जे।]

" 523. प्रश्न के दूसरे भाग के संबंध में, बालाजी, 1963 सप्लीमेंट 1 एससीआर 439 में, यह देखा गया था कि पिछड़े वर्गों को पिछड़े और अधिक पिछड़े वर्गों में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। यद्यपि ये टिप्पणियां अनुच्छेद 15 (4) के संदर्भ में की गई थीं, जो वहां विचार के लिए थीं, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये समान रूप से लागू होंगी।

अनुच्छेद 16 (4)। ये टिप्पणियां कर्नाटक राज्य द्वारा नियुक्त नागन गौड़ा समिति की सिफारिशों पर विचार करते हुए की गई थीं, जिसने

पिछड़े समुदायों का दो प्रभागों, पिछड़े और अधिक पिछड़े में वर्गीकरण। इन्हें बनाते समय

समिति ने एक परीक्षण लागू किया था, अर्थात। , " क्या समुदाय में शिक्षा का स्तर राज्य के औसत के 50 प्रतिशत से कम था? यदि ऐसा था, तो समुदाय को अधिक पिछड़ा माना जाता था; यदि ऐसा नहीं था, तो समुदाय को पिछड़ा माना जाता था। न्यायालय ने राय दी कि रिपोर्ट द्वारा किया गया उप-वर्गीकरण और उस पर आधारित आदेश अनुच्छेद 15 (4) के तहत उचित नहीं था जो 'वास्तव में पिछड़े वर्गों' के लिए विशेष प्रावधान करने को अधिकृत करता है। न्यायालय ने आगे कहा कि पिछड़े वर्गों की दो श्रेणियों को शुरू करने में, क्या

कथित रूप से विवादित आदेश "राज्य के सबसे उन्नत वर्गों की तुलना में कम उन्नत नागरिकों के सभी वर्गों के लाभ के लिए" उपाय तैयार करना था। न्यायालय के अनुसार, यह अनुच्छेद 15 (4) का दायरा नहीं था। विवादित आदेश द्वारा अपनाई गई पद्धति का परिणाम यह था कि राज्य की लगभग 90 प्रतिशत आबादी को पिछड़ा माना जाता था और न्यायालय ने कहा कि यह स्पष्ट करता है कि कैसे आदेश ने वास्तव में राज्य की आबादी को सबसे उन्नत और बाकी में विभाजित किया, जिससे राज्य की आबादी को पिछड़े और अधिक पिछड़े की दो श्रेणियों में रखा गया। इस प्रकार, उप-वर्गीकरण के खिलाफ वहाँ लिया गया दृष्टिकोण उस मामले के तथ्यों पर था जो दर्शाता है कि राज्य की लगभग 90 प्रतिशत आबादी को पिछड़े के रूप में वर्गीकृत किया गया था, पिछड़े (अधिक पिछड़े के मुकाबले) की पिछड़ेपन को राज्य के सबसे उन्नत वर्गों की तुलना में मापा जा रहा था। जो सबसे उन्नत से कम उन्नत थे, उन सभी को पिछड़े के रूप में वर्गीकृत किया गया था। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यह अधिक पिछड़े हैं या जो वास्तव में थे पिछड़े जो अकेले अनुच्छेद 15 (4) के प्रावधानों के लाभ के हकदार होंगे। दूसरे शब्दों में, जहां अधिक पिछड़े लोगों को ठीक-ठीक पिछड़े के रूप में वर्गीकृत किया गया था, वहीं पिछड़े लोगों को ठीक-ठीक पिछड़े के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

524. यह इंगित किया जा सकता है कि वसंत कुमार, 1985 सप्लीमेंट एस. सी. सी. 714, चिन्नाप्पा रेड्डी, जे. ने बालाजी, 1963 सप्लीमेंट 1 एस. सी. आर. 439 में उपरोक्त दृष्टिकोण का उल्लेख करने के बाद कहा कि इस तरह के परीक्षण की औचित्य प्रत्येक मामले के तथ्यों पर सवाल उठाने के लिए खुली हो सकती है, लेकिन ऐसा कोई कारण नहीं था कि सैद्धांतिक रूप से ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। बैकवर्ड और मोर बैकवर्ड में वर्गीकरण यदि दोनों वर्ग केवल थोड़े पीछे नहीं हैं, बल्कि सबसे उन्नत वर्गों से बहुत पीछे हैं। उन्होंने आगे कहा कि वास्तव में, अधिक पिछड़े वर्गों की मदद के लिए इस तरह का वर्गीकरण आवश्यक होगा; अन्यथा।

पिछड़े वर्गों के जो अधिक पिछड़े वर्गों की तुलना में थोड़े अधिक उन्नत हो सकते हैं, वे सभी सीटों के साथ चले जाते जैसे कि आरक्षण अधिक पिछड़े लोगों तक ही सीमित था

वर्गों और पिछड़े वर्गों के थोड़े अधिक उन्नत के लिए कोई आरक्षण नहीं किया गया था, पिछड़े वर्गों को कोई सीट नहीं मिलेगी क्योंकि उन्नत वर्ग सभी के साथ चले जाएंगे

वहाँ "सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े" और बाकी "उन्नत" के रूप में सूचीबद्ध हैं। अब, 11 और 22 अंकों के बीच कुछ लोग सुरक्षित कर सकते हैं, मान लीजिए, 11 से 15 अंक जबकि अन्य सभी 22 अंक हासिल कर सकते हैं। इसलिए उनके पिछड़ेपन में काफी अंतर है। एक अन्य उदाहरण जो दिया जा सकता है, वह वसंत कुमार, 1985 सप्लीमेंट एस. सी. सी. 714 में निर्णय के बाद जारी किए गए आरक्षण पर कर्नाटक राज्य सरकार के 13 अक्टूबर, 1986 के आदेश से है।

पिछड़े वर्गों को पाँच श्रेणियों में बांटा गया है। , ए, बी, सी, डी और ई. श्रेणी ए में ऐसी जातियाँ या समुदाय आते हैं जैसे कि बैरागी, बंजारी और लंबाडी जो खानाबदोश जनजातियाँ हैं, पंजाब राज्य और ओआरएस।

वी. डेविंदर सिंह और हमारा। [अरुण मिश्रा, जे।]

और बेदारू, रामोशी जिन्हें पहले आपराधिक जनजातियों के रूप में कलंकित किया गया था, जबकि श्रेणी डी में क्षत्रिय और रामोशी जैसी जातियां आती हैं।

परिस्थितियों में, पिछड़े वर्गों का पिछड़े और अधिक या सबसे पिछड़े में उप-वर्गीकरण न केवल वांछनीय है, बल्कि आवश्यक भी है। हालाँकि, उनमें से प्रत्येक के लिए एक विशेष कोटा निर्धारित किया जाना है जैसा कि कर्नाटक सरकार के आदेश में किया गया है। अगर ऐसा है तो जैसा कि वर्तमान मामले में किया गया है, और आरक्षित पदों की पेशकश पहले अधिक पिछड़े लोगों को की जाती है और केवल शेष को

पीछे या कम पीछे, जितना अधिक पीछे ले जा सकता है

बशर्ते कि उनमें से प्रत्येक के लिए अलग-अलग कोटा निर्धारित किया गया हो। 552. इन प्रश्नों के उत्तर अब संक्षेप में इस प्रकार दिए जा सकते हैं:

प्रश्न 3: *** प्रश्न 4: ***

प्रश्न 5:

अनुच्छेद 16 (4) पिछड़े वर्गों को पिछड़े और अधिक या सबसे पिछड़े वर्गों में वर्गीकृत करने की अनुमति देता है। हालांकि, यह वर्गीकरण की अनुमति केवल सामाजिक पिछड़ेपन की डिग्री के आधार पर दी जाती है, न कि केवल आर्थिक विचार के आधार पर।

यदि पिछड़े वर्गों को पिछड़े और अधिक या सबसे पिछड़े वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है, तो आरक्षण का अलग कोटा [2020] 10 एस. सी. आर. होगा।

ऐसे प्रत्येक वर्ग के लिए रखा जाना चाहिए। इस तरह के अभाव में

अलग-अलग कोटा, आरक्षण अवैध होगा।

पिछड़े वर्गों को वर्गीकृत करने की अनुमति नहीं है या

पिछड़े वर्ग के सामाजिक समूह को एक उन्नत वर्ग में और

पिछड़े वर्ग या तो आर्थिक या किसी अन्य विचार पर।

आगे की कक्षाएँ। यदि पिछड़े वर्ग में उन्नत अनुभाग है इतना उन्नत कि आगे के वर्गों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हो,

पिछड़े वर्ग का उन्नत वर्ग अब संबंधित नहीं है पिछड़े वर्ग के लिए और इस प्रकार माना जाना बंद कर दिया जाना चाहिए और

अनुच्छेद 16 (4) के तहत आरक्षण के लाभ से इनकार किया गया।

(जोर दिया गया)

(ग) इंद्र साहनी में शामिल प्रश्न मंडल का था।

अन्य पिछड़े वर्गों के संबंध में आयोग। में प्रयुक्त अभिव्यक्ति

अनुच्छेद 16 (4) 'नागरिकों का कोई भी पिछड़ा वर्ग' है। अनुच्छेद 16 (4) अनुच्छेद 15 (4) की तुलना में इसके दायरे में व्यापक है। अभिव्यक्ति 'वर्ग' 'जाति' से व्यापक है,

9

और अनुच्छेद 16 (4) के तहत निर्धारित 'पिछड़ा वर्ग' अभिव्यक्ति अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य सभी को इसके दायरे में लेती है।

सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग सहित पिछड़े वर्ग। बी. पी. जीवन रेड्डी, जे. (अपने और अन्य तीन न्यायाधीशों के लिए) द्वारा व्यक्त राय में निम्नलिखित चर्चा की गईः

" 774.हमारी राय में भी, शब्द "नागरिकों का वर्ग-नहीं" राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व "

" "और डॉ. अम्बेडकर और श्री के. एम. के भाषणों द्वारा। मुंशी, यह स्पष्ट किया गया था कि "नागरिकों का वर्ग नहीं।

राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व का अर्थ

केवल नागरिकों के उन वर्गों को जिनका प्रतिनिधित्व नहीं था उनके सामाजिक पिछड़ेपन का लेखा।

777. ..... "समुदाय" शब्द स्पष्ट रूप से "जाति" से अधिक व्यापक है।

और "पिछड़े समुदायों" का मतलब केवल जातियों से नहीं था

जहाँ भी वे पाए जा सकते हैं-लेकिन अन्य समूह, वर्ग भी

778. वास्तव में, संविधान के बहुत अच्छे कारण हैं अनुच्छेद में "जातियाँ" या "जाति" अभिव्यक्ति का उपयोग नहीं किया जा सकता था

16 (4) और क्यों "वर्ग" शब्द स्वाभाविक विकल्प था

संदर्भ। संविधान पूरे देश और पंजाब और ओ. आर. एस. राज्य के लिए था।

वी. डेविंदर सिंह और हमारा। [अरुण मिश्रा, जे।]

आने वाले सभी समय के लिए। इस्लाम, ईसाई धर्म और सिख जैसे गैर-हिंदू धर्म जाति को मान्यता नहीं देते थे, हालाँकि, जैसा कि यहाँ ऊपर बताया गया है, इन धर्मों के बीच भी अलग-अलग मात्रा में जातियाँ मौजूद थीं। इसके अलावा, एक संविधान को एक स्थायी दस्तावेज माना जाता है जो कई शताब्दियों तक चलने की उम्मीद है। इसे होना ही चाहिए। निश्चित रूप से यह परिकल्पना की गई है कि भविष्य में कई वर्ग पिछड़ेपन की परीक्षा का जवाब दे सकते हैं, जिसके लिए अनुच्छेद 16 (4) के संरक्षण की आवश्यकता होती है। इसलिए, यह इस प्रकार है कि अनुच्छेद 16 (4) में "वर्ग" शब्द के उपयोग से, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि "वर्ग" "जाति" के विरोधी है या कि कोई जाति एक वर्ग नहीं हो सकती है या किसी जाति को कभी भी नागरिकों के पिछड़े वर्ग के रूप में नहीं लिया जा सकता है। हमारी राय में अनुच्छेद 16 (4) में "वर्ग" शब्द का उपयोग सामाजिक वर्ग के अर्थ में किया जाता है न कि उस अर्थ में जिसे समझा जाता है।

नाथ (द्वितीय), (1969) 1 एस. सी. आर. 103,105, बलराम (1972) 1 एस. सी. सी. 660 और पीरियाकरुप्पन, (1971) 1 एस. सी. सी. 38,48, इस वास्तविकता को मान्यता दी गई और इस तथ्य के बावजूद प्रभाव दिया गया कि उन्हें बालाजी, 1963 सप्लीमेंट 1 एस. सी. आर. 439 के बजाय योग्य सूत्रीकरण के भीतर सम्मान और संचालन करना था।

778 - बी. पूर्णता के लिए, हम वसंत कुमार, 1985 सप एस. सी. सी. 714 के कुछ अंशों का उल्लेख कर सकते हैं। 'जाति' की अवधारणा का क्या अर्थ है? जे. डी. ए. देसाई "जाति" को निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित और वर्णित करते हैंः (एससीसी पीपी। 730-31 , पैरा 22)

" फिर जाति क्या है? हालाँकि विद्वानों और न्यायविदों द्वारा जाति पर चर्चा की गई है, लेकिन अभिव्यक्ति की कोई सटीक परिभाषा नहीं है।

उभर कर आया है। जाति एक क्षैतिज विभाजन है -

समाज एक जिले या एक क्षेत्र या पूरे राज्य में फैला हुआ है और कभी-कभी इसके बाहर भी। होमो पदानुक्रम जाति-व्यवस्था का केंद्रीय और मूल तत्व होने की उम्मीद है जो इसे अन्य सामाजिक प्रणालियों से अलग करता है। अवधारणा

जाति-व्यवस्था की चार आवश्यक विशेषताएं हैं - अपने होमो पदानुक्रम चरित्र को बनाए रखाः (1) पदानुक्रम; (2)

समानता; (3) विवाह पर प्रतिबंध; और (4) वंशानुगत व्यवसाय। अधिकांश जातियाँ अंतर्विवाही समूह हैं। दो समूहों के बीच अंतर विवाह की अनुमति नहीं है। लेकिन 'प्रतिलोम' शादियाँ पूरी तरह से ज्ञात नहीं हैं। "[2020] 10 एस. सी. आर.

जे. वेंकटरमैया ने भी "जाति" को व्यावहारिक रूप से समान शब्दों में परिभाषित किया। उन्होंने कहाः (एस. सी. सी पी. 786, पैरा 110)

" जाति उन परिवारों का एक संघ है जो अंतर्विवाह की प्रथा का पालन करते हैं अर्थात जो केवल ऐसे परिवारों से संबंधित सदस्यों के बीच विवाह की अनुमति देता है। जाति के नियम इसके सदस्यों को उनकी जाति के बाहर शादी करने से रोकते हैं। एक जाति विभिन्न कारकों पर आधारित होती है, कभी-कभी यह एक वर्ग, एक जाति हो सकती है।

या एक नस्लीय इकाई। जाति का धन से कोई लेना-देना नहीं है। व्यक्ति की जाति परिवार में उसके जन्म से नियंत्रित होती है। अनुष्ठानिक शुद्धता के कुछ विचार प्रत्येक जाति के लिए विशिष्ट हैं।

जाति के सदस्यों के व्यवसाय का चुनाव था

कई मामलों में पूर्व निर्धारित, और एक विशेष जाति के सदस्यों को अन्य प्रकार के आह्वान, व्यवसाय या व्यवसायों में खुद को संलग्न करने से प्रतिबंधित किया गया था। कुछ व्यवसाय

उन्हें अपमानजनक या अशुद्ध माना जाता था।

779. उपरोक्त सामग्री यह स्पष्ट करती है कि एक जाति है एक सामाजिक वर्ग के अलावा और कुछ नहीं-एक सामाजिक रूप से सजातीय वर्ग। यह एक व्यावसायिक समूह भी है, इस अंतर के साथ कि इसकी सदस्यता वंशानुगत है। एक इसमें जन्म लेता है। इसकी सदस्यता अनैच्छिक है। भले ही कोई उस व्यवसाय का पालन करना बंद कर दे, फिर भी वह उस समूह का सदस्य बना रहता है और बना रहता है। ..... लेकिन हम यहाँ समानता के एक सीमित पहलू के बारे में चिंतित हैं जिस पर जोर दिया गया है।

अनुच्छेद 16 (4) सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता और नागरिकों के पिछड़े वर्ग के पक्ष में एक विशेष प्रावधान ताकि वे इसे प्राप्त कर सकें। (ख) "नागरिकों के पिछड़े वर्ग" की पहचान

780. अब हम पिछड़े वर्ग की पहचान की ओर रुख कर सकते हैं।

नागरिकों के लिए। आप इसके बारे में कैसे जाते हैं? आप कहाँ से शुरू करते हैं? क्या विधि राज्य से राज्य, क्षेत्र से क्षेत्र और ग्रामीण से शहरी में भिन्न होती है? धर्मों के मामले में आप क्या करते हैं जहाँ

जाति-व्यवस्था प्रचलित नहीं है? अन्य वर्गों, समूहों और समुदायों के बारे में क्या जो जाति का लेबल नहीं पहनते हैं? क्या अनुच्छेद 16 (4) के उद्देश्य से संघर्ष विराम रेखा (जम्मू और कश्मीर में) या पहाड़ी या दुर्गम क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लोगों का सर्वेक्षण किया जाना चाहिए और उन्हें पिछड़े वर्गों के रूप में पहचाना जाना चाहिए? और इसी तरह और भी कई सवाल हमसे पूछे जाते हैं। हम उन्हें जवाब देंगे। लेकिन हमारे जवाब अनिवार्य रूप से स्थिति की सामान्यताओं से निपटेंगे न कि पंजाब और ओ. आर. एस. राज्य की परिधीय प्रकृति की समस्याओं या मुद्दों से।

वी. डेविंदर सिंह और हमारा। [अरुण मिश्रा, जे।]

जो किसी विशेष राज्य, जिले या क्षेत्र के लिए विशिष्ट हैं। प्रत्येक स्थिति की कल्पना और उत्तर नहीं दिया जा सकता है। यह पहचान करने के लिए नियुक्त उपयुक्त अधिकारियों पर छोड़ दिया जाना चाहिए। हम केवल सामान्य दिशानिर्देश निर्धारित कर सकते हैं।

781. शुरुआत में, हम यह कह सकते हैं कि इस चर्चा के उद्देश्य के लिए, हम अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों को अलग रखते हैं (क्योंकि वे निश्चित रूप से पिछड़े वर्गों में शामिल हैं), सिवाय इस टिप्पणी के कि अनुच्छेद 16 (4) द्वारा परिकल्पित पिछड़े वर्गों में कुछ जातियां शामिल हैं-क्योंकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अनुसूचित जातियों में काफी कुछ जातियां शामिल हैं।

ग) क्या अनुच्छेद 16 (4) में पिछड़ेपन सामाजिक और शैक्षिक दोनों होना चाहिए?

786. विचार करने के लिए दूसरा पहलू यह है कि क्या

अनुच्छेद 16 (4) में उल्लिखित पिछड़ेपन सामाजिक है। पिछड़ेपन या शैक्षिक पिछड़ेपन या चाहे वह सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन हो। बालाजी, 1963 सप्लीमेंट 1 एस. सी. आर. 439 में निर्णय के बाद से, यह माना गया है कि अनुच्छेद 16 (4) द्वारा विचारित नागरिकों का पिछड़ा वर्ग सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों के समान है।

और अनुच्छेद 15 (4) में उल्लिखित अनुसूचित जनजातियाँ। यद्यपि अनुच्छेद 15 (4) बाद में 1951 में अस्तित्व में आया और अनुच्छेद 16 (4) में "नागरिकों का पिछड़ा वर्ग" शब्दों से पहले "सामाजिक और शैक्षिक रूप से" योग्य शब्द नहीं हैं, वही अर्थ आया। उनसे जुड़ने के लिए। वास्तव में, जानकी प्रसाद परिमू, (1973) 1 एस. सी. सी. 420 (पालेकर, जे. संविधान पीठ की ओर से बोलते हुए) में कहा गया था किः

" अनुच्छेद 15 (4) 'नागरिकों के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों' के बारे में बात करता है जबकि अनुच्छेद 16 (4) केवल बोलता है 'किसी भी पिछड़े वर्ग के नागरिक' का। हालाँकि, अब यह तय हो गया है कि अनुच्छेद 16 (4) में 'नागरिकों का पिछड़ा वर्ग' अभिव्यक्ति है।

अनुच्छेद 15 (4) में नागरिकों का शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग। 'पिछड़े वर्ग का नागरिक' कहलाने के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए उसे सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग का सदस्य होना चाहिए। यह एक वर्ग का सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन है। जो अनुच्छेद 15 (4) और दोनों के प्रयोजनों के लिए सामग्री है।

16 (4) . ”

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

787. यह सच है कि इससे पहले किसी भी निर्णय में विशेष रूप से ऐसा नहीं कहा गया था

शैक्षणिक रूप से "जैसा कि अनुच्छेद 15 का खंड (4) करता है। यह याद रखा जा सकता है कि अनुच्छेद 340 (जो अपरिवर्तित रहा है) 'सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों' की अभिव्यक्ति का उपयोग करता है और फिर भी उस अभिव्यक्ति को अनुच्छेद 16 (4) में जगह नहीं मिलती है। इसका कारण स्पष्ट हैः " अनुच्छेद 16 (4) में नागरिकों का पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों और अन्य सभी को शामिल करता है। सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों सहित नागरिकों के पिछड़े वर्ग। इस प्रकार, कुछ वर्ग जो अनुच्छेद 15 (4) के लिए योग्य नहीं हो सकते हैं, वे अनुच्छेद 16 (4) के लिए योग्य हो सकते हैं। वे शायद नहीं

वे अनुच्छेद 15 (4) के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं लेकिन वे अनुच्छेद 16 (4) के प्रयोजनों के लिए नागरिकों के पिछड़े वर्ग के रूप में अर्हता प्राप्त कर सकते हैं। यह ध्यान रखना भी उतना ही प्रासंगिक है कि अनुच्छेद 340 स्पष्ट रूप से राज्य के तहत सेवाओं या सेवाओं में आरक्षण का उल्लेख नहीं करता है, हालांकि यह हो सकता है कि इसके तहत नियुक्त आयोग उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए एक कदम के रूप में राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों/पदों में आरक्षण की सिफारिश कर सकता है जिनके तहत एस. ई. बी. सी. हैं।

श्रम करना और उनकी स्थितियों में सुधार करना। इस प्रकार, अनुच्छेद 340 में निर्दिष्ट एस. ई. बी. सी. केवल उन श्रेणियों में से हैं जिनके लिए अनुच्छेद 16 (4) लागू किया गया थाः अनुच्छेद 16 (4) अनुच्छेद 340 द्वारा अनुध्यात वर्ग की तुलना में बहुत बड़े वर्ग पर लागू होता है। इस प्रकार, यह कहना सही नहीं होगा कि अनुच्छेद 16 (4) में 'नागरिकों का पिछड़ा वर्ग' अनुच्छेद 15 (4) में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के समान है। ऐसा कहने का अर्थ होगा अनुच्छेद 16 (4) जैसे लाभकारी प्रावधान में एक सीमा को पढ़ना। इसके अलावा, जब बात करते हैं

राज्य सेवाओं में नियुक्तियों/पदों में आरक्षण-जिसका अर्थ हो सकता है, किसी भी स्तर पर-शैक्षिक पिछड़ेपन पर जोर देना बिल्कुल उचित नहीं हो सकता है।

788. इसके अलावा, यदि कोई उस संदर्भ को ध्यान में रखता है जिसमें अनुच्छेद 16 (4) को अधिनियमित किया गया था, तो यह स्पष्ट होगा कि इस पर जोर दिया गया था

सामाजिक पिछड़ेपन। यह कहने की जरूरत नहीं है कि भारतीय संदर्भ में, सामाजिक पिछड़ेपन से शैक्षिक पिछड़ेपन की ओर जाता है और दोनों मिलकर गरीबी की ओर ले जाते हैं-जो बदले में सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन को जन्म देता है और उसे कायम रखता है। वे एक-दूसरे का पोषण करते हुए एक दुष्चक्र का गठन करते हैं।

यह पंजाब और ओ. आर. एस. का एक अच्छा राज्य है। वी. डेविंदर सिंह और हमारा। [अरुण मिश्रा, जे।]

ज्ञात तथ्य यह है कि स्वतंत्रता तक प्रशासनिक तंत्र

लगभग विशेष रूप से 'उच्च' जातियों के सदस्यों द्वारा संचालित किया जाता था। शूद्र, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और

मुसलमानों के बीच अन्य समान पिछड़े सामाजिक समूह और

ईसाइयों को प्रशासनिक तंत्र में व्यावहारिक रूप से कोई प्रवेश नहीं था।

यह वह असंतुलन था जिसे दूर करने की कोशिश की गई थी

ऐसे पिछड़े वर्गों के पक्ष में आरक्षण का प्रावधान करना। में।

डॉ. राजीव धवन का यह कहना सही हो सकता है कि

अनुच्छेद 16 (4) का उद्देश्य पिछड़े लोगों का "सशक्तिकरण" था।

कक्षाएँ। विचार उन्हें राज्य शक्ति साझा करने में सक्षम बनाना था।

तदनुसार, हमारी राय है कि पिछड़ेपन अनुच्छेद 16 (4) द्वारा विचार किया गया मुख्य रूप से सामाजिक पिछड़ेपन है। यह.

यह कहना सही नहीं होगा कि अनुच्छेद के तहत पिछड़ेपन

16 (4) सामाजिक और शैक्षिक दोनों होना चाहिए। अनुसूचित जनजातियाँ

और अनुसूचित जातियाँ निस्संदेह पिछड़ी हुई हैं

खंड के उद्देश्य; किसी ने यह सुझाव नहीं दिया है कि उन्हें

सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन की कसौटी को पूरा करना

(जोर दिया गया)

(घ) (i) राज्य द्वारा दिए गए तरजीही व्यवहार का प्रश्न।

अनुच्छेद 14 के तहत समानता के पहलू को प्राथमिकता देने के रूप में माना जाता है

पीछे की ओर लक्ष्य और उद्देश्य को आगे बढ़ाता है

ले 16 (4)। इंद्र साहनी के नौ में से छह न्यायाधीशों ने माना कि अनुच्छेद

यह अनुच्छेद 16 (1) का अपवाद नहीं है। बी. पी. द्वारा व्यक्त की गई राय।

उन रेड्डी, जे. (अपने और अन्य तीन न्यायाधीशों के लिए) को निकाला जाता है।

इंदौरः

" 733.इस स्तर पर हम एक विशेष पहलू को स्पष्ट करना चाहते हैं। लेख

16 (1) यह अनुच्छेद 14 का एक पहलू है। जिस तरह अनुच्छेद 14 युक्तियुक्त होने की अनुमति देता है

अनुच्छेद 16 के खंड (1) के तहत नियुक्तियां और/या पद एक वर्ग के पक्ष में आरक्षित किया जा सकता है। लेकिन अब एक तर्क है

उन्नत होने के नाते-स्पष्ट रूप से पॉवेल, जे की राय से प्रेरित

बक्के, 57 एल एड 2 डी 750 में, कि अनुच्छेद 16 (1) केवल अनुमति देता है

वरीयताएँ लेकिन आरक्षण नहीं। के समर्थन में तर्क

कहा गया तर्क वही है जो पॉवेल, जे द्वारा सामने रखा गया था। तर्क, हमारी राय में, इस तथ्य की उपेक्षा करता है कि यह नहीं है

बक्के में अदालत का सर्वसम्मत दृष्टिकोण, 57 एल एड 2 डी 750। चार। न्यायाधीश ब्रेनन सहित न्यायाधीशों का विचार था कि इस तरह का आरक्षण [2020] 10 एस. सी. आर.

चौदहवें संशोधन द्वारा वर्जित नहीं किया गया था जबकि अन्य चार (वारेन बर्गर, सी. जे. सहित) ने यह विचार रखा कि

नागरिक अधिकार अधिनियम, 1964 का चौदहवाँ संशोधन और शीर्षक VI सभी नस्ल-जागरूक कार्यक्रमों को प्रतिबंधित करता है। साथ ही, विद्यालय के पृथक्करण से संबंधित निर्णयों की एक श्रृंखला है ब्राउन, 347 यू. एस. 483 से उत्तरी कैरोलिना शिक्षा बोर्ड बनाम। स्वान, 28 एल एड 2 डी 586-जहाँ अदालत लगातार यह विचार रखती रही है कि यदि नस्ल भेदभाव का आधार है, तो नस्ल

समान रूप से उपचारात्मक कार्रवाई का आधार बन सकता है। मेट्रो ब्रॉडकास्टिंग इंक., 58 आई. डब्ल्यू. 5053 द्वारा इंगित दृष्टिकोण में बदलाव समान रूप से है।

महत्वपूर्ण है। (पिछले भेदभाव के) 'दीर्घकालिक प्रभाव' सिद्धांत के साथ-साथ नस्ल-जागरूक कार्यक्रमों की सख्त जांच के मानक दोनों को छोड़ दिया गया है। यह ध्यान देने के लिए पर्याप्त है कि विचारों का कोई भी एक समान पैटर्न इनसे नहीं देखा जा सकता है।

निर्णय लेते हैं। विचार अभी भी विकास की प्रक्रिया में प्रतीत होते हैं।

प्रश्न 2 (ए):

बालाजी, 1963 सप्लीमेंट 1 एससीआर 439, देवदासन, (1964) 4 एससीआर 680 में एक अन्य संविधान पीठ द्वारा (बहुमत से) यह अभिनिर्धारित किया गया था-"आगे यह न्यायालय पहले ही अभिनिर्धारित कर चुका है कि अनुच्छेद 16 का खंड (4) खंड (1) के परंतुक या अपवाद के रूप में है"। तथापि, न्यायमूर्ति सुब्बा राव ने अपनी असहमति में कहा कि अनुच्छेद 16 (4) अनुच्छेद 16 (1) का अपवाद नहीं है, बल्कि यह स्पष्ट करने का केवल एक जोरदार तरीका है - मुख्य प्रावधान में निहित सिद्धांत। जो भी हो, देवदासन, (1964) 4 एस. सी. आर. 680 में निर्णय के बाद से, इस न्यायालय द्वारा यह माना गया था कि अनुच्छेद 16 (4) अनुच्छेद का एक अपवाद है।

16 (1) . हालाँकि, इस दृष्टिकोण को केरल राज्य बनाम में बहुमत के निर्णय से एक गंभीर झटका लगा। एन. एम. थॉमस, (1976) 2 एस. सी. सी 310। हालांकि अल्पसंख्यक (एच. आर. खन्ना और ए. सी. गुप्ता, जेजे) इस विचार पर अड़े रहे कि अनुच्छेद 16 (4) एक अपवाद है, पंजाब और ओआरएस का बहुमत राज्य।

वी. डेविंदर सिंह और हमारा। [अरुण मिश्रा, जे।]

(रे, सी. जे., मैथ्यू, कृष्णा अय्यर और फजल अली, जे. जे.) ने अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 16 (4) अनुच्छेद 16 (1) का अपवाद नहीं है, बल्कि यह अनुच्छेद 16 (1) में निहित एक सिद्धांत को व्यक्त करने का केवल एक जोरदार तरीका है। (बेग, जे ने थोड़ा अलग दृष्टिकोण अपनाया जिसका यहाँ उल्लेख करना आवश्यक नहीं है।) उक्त चार विद्वान न्यायाधीश-जिनके विचार हैं -

उसके द्वारा आश्वस्त अवसर। अवसर की समानता सुनिश्चित करने के लिए, कुछ स्थितियों में असमान रूप से स्थित व्यक्तियों के साथ असमान व्यवहार करना आवश्यक हो सकता है। ऐसा न करने से असमानता बढ़ेगी और बढ़ेगी। अनुच्छेद 16 (4) इस तरह के वर्गीकरण का एक उदाहरण है, जिसे मामले को विवाद से परे रखने के लिए रखा गया है। "नागरिकों के पिछड़े वर्ग" को एक अलग श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया गया है जो आरक्षण की प्रकृति में विशेष व्यवहार के योग्य है। राज्य की सेवाओं में नियुक्तियाँ/पद। तदनुसार, हम मानते हैं कि अनुच्छेद 16 का खंड (4) अनुच्छेद 16 के खंड (1) का अपवाद नहीं है। यह खंड (1) में निहित और अनुज्ञात वर्गीकरण का एक उदाहरण है। अनुच्छेद 693 में निर्दिष्ट संविधान सभा में अनुच्छेद 10 (3) [अनुच्छेद 16 (4) के अनुरूप] के मसौदे पर बहस के दौरान डॉ. अम्बेडकर के भाषण से पता चलता है कि संविधान सभा के सदस्यों की एक बड़ी संख्या थी।

इस बात पर जोर दिया कि "कुछ समुदायों के प्रवेश के लिए प्रावधान (किया जा रहा है) जो अब तक प्रशासन के बाहर रहे हैं", और उस मसौदे खंड (3) को मान्यता और स्वीकृति में रखा गया था।

उक्त मांग। यह एक ऐसा प्रावधान है जिसे खंड (1) के साथ और उसके अनुरूप पढ़ा जाना चाहिए। वास्तव में, खंड (4) के बिना भी, राज्य के लिए यह अनुज्ञेय होता कि उसने ऐसा वर्गीकरण विकसित किया होता और निम्नलिखित के लिए आरक्षण का प्रावधान किया होताः

उनके पक्ष में नियुक्तियाँ/पद। खंड (4) केवल विशिष्ट शब्दों में मामले को किसी भी संदेह से परे रखता है।

742. बालाजी, 1963 के पूरक 1 एस. सी. आर. 439 और देवदासन, (1964) 4 एस. सी. आर. 680 में व्यक्त किए गए विचार के संबंध में, यह याद रखना चाहिए कि उस समय इस न्यायालय द्वारा अभी तक यह मान्यता नहीं दी गई थी कि अनुच्छेद 16 (1) अनुच्छेद 14 का एक पहलू होने के कारण स्पष्ट रूप से वर्गीकरण की अनुमति देता है। एक बार जब इस विशेषता को मान्यता मिल गई तो खंड (4) का सिद्धांत [2020] 10 एस. सी. आर. था।

खंड (1) का अपवाद असमर्थनीय हो गया। यह स्वीकार किया जाना था कि खंड (4) खंड (1) में निहित वर्गीकरण का एक उदाहरण है। जिस प्रकार अनुच्छेद 16 (1) अनुच्छेद 14 में अंतर्निहित सिद्धांत का एक पहलू या विस्तार है, उसी प्रकार अनुच्छेद 16 का खंड (2) भी खंड (1) के एक पहलू का विस्तार है। यदि खंड (4) एक अपवाद है

खंड (1) के लिए तो यह खंड (2) के लिए समान रूप से एक अपवाद है। तब प्रश्न उठता है कि किस संबंध में यदि खंड (4) खंड का अपवाद है

(2) , यदि 'वर्ग' का अर्थ 'जाति' नहीं है। न तो खंड (1) और न ही खंड (2) वर्ग की बात करते हैं। क्या विवाद का यह अर्थ है कि खंड (1) वर्गीकरण की अनुमति नहीं देता है और इसलिए खंड (4) इसके लिए एक अपवाद है। इस प्रकार, किसी भी दृष्टिकोण से, याचिकाकर्ताओं के तर्क का कोई महत्व नहीं है।

प्रश्न 2 (ग):

क्या अनुच्छेद 16 (4) की अवधारणा ही संपूर्ण है

आरक्षण?

खंड (1) इस प्रकार समाप्त हो जाता है। ऐसा कहना सिद्धांत रूप में सही नहीं होगा। लेकिन इसके साथ ही एक बात स्पष्ट है। यह बहुत ही असाधारण परिस्थितियों में है-और सभी और विभिन्न कारणों से नहीं। कि खंड (1) के तहत किसी भी प्रकार के और आरक्षण का प्रावधान किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में, राज्य को यह संतुष्ट करना होगा कि ऐसा प्रावधान करना आवश्यक था (सार्वजनिक रूप से)।

विशेष उपचार के योग्य अन्य वर्ग। ऐसा कहने का कारण बहुत सरल है। यदि खंड (4) के तहत दोनों आरक्षण किए जाते हैं। साथ ही खंड (1) के तहत, मुक्त प्रतिस्पर्धा के साथ-साथ आरक्षित श्रेणियों के लिए उपलब्ध रिक्तियां

तदनुसार नीचे गिराया गया और ऐसा करना एक उचित बात नहीं है।

पंजाब राज्य और ओ. आर. एस. वी. डेविंदर सिंह और हमारा। [अरुण मिश्रा, जे।]

क्या अनुच्छेद 16 का खंड (1) इसकी अनुमति नहीं देता है

इस तर्क को अस्वीकार करें कि अनुच्छेद 16 का खंड (1) केवल अनुमति देता है वरीयता, रियायतों और छूटों का विस्तार, लेकिन करता है

पैरा 733 में यह तर्क दिया गया है कि इसके तहत कोई आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। अनुच्छेद 16 (1) वास्तव में बक्के में पॉवेल, जे की राय से प्रेरित है,

57 एल एड 2 डी 750। लेकिन उसी पैराग्राफ में हमने इशारा किया था

यह कि यह न्यायालय की सर्वसम्मत राय नहीं है। सिद्धांत रूप में,

हम उक्त तर्क को स्वीकार करने का कोई आधार नहीं देखते हैं। किस तरह का?

एक विशेष वर्ग के पक्ष में विशेष प्रावधान किया जाना चाहिए

तथ्यों को ध्यान में रखते हुए राज्य को निर्णय लेने के लिए एक मामला और

किसी दी गई स्थिति की परिस्थितियाँ-विषय, निश्चित रूप से,

पूर्ववर्ती अनुच्छेद में टिप्पणियाँ "।

(जोर दिया गया)

((ii) पी. बी. सावंत, जे. (अपने लिए) द्वारा व्यक्त की गई राय है -

यहाँ नीचे लिखा हैः

" 428. केरल राज्य में इस न्यायालय के बहुमत निर्णय के साथ वी. एन. एम. थॉमस, (1976) 2 एस. सी. सी. 310, ने अल्पसंख्यक होने की पुष्टि की।

टी. देवदासन बनाम में जे. सुब्बा राव की राय। भारत संघ,

(1964) 4 एस. सी. आर. 680, स्थापित न्यायिक दृष्टिकोण यह है कि

अनुच्छेद 16 इसके खंड (1) का अपवाद नहीं है, लेकिन केवल खंड (1) में क्या निहित है, यह बताने का एक जोरदार तरीका।

429. समानता न केवल कानूनी समानता बल्कि वास्तविक भी है।

समानता। अवसर की समानता को इससे अलग करना होगा

परिणामों की समानता। हमारे संविधान के विभिन्न प्रावधान

प्रस्तावना के साथ, दिखाएँ कि समानता का अधिकार हमारे अधिकार में निहित है संविधान केवल एक औपचारिक अधिकार या एक शून्य घोषणा नहीं है।

यह एक सकारात्मक अधिकार है और राज्य इसके लिए बाध्य है

इसे वास्तविक और प्रभावी बनाने के उपाय। ... .

430.तथापि, यदि खंड (4) को खंड के अपवाद के रूप में माना जाता है

(1) , एक महत्वपूर्ण लेकिन अनपेक्षित परिणाम सामने आ सकता है। वहाँ खंड (1) के तहत कोई अन्य वर्गीकरण अनुमत नहीं होगा, और

खंड (4) को उन सभी अपवादों को समाप्त करने वाला माना जाएगा जो खंड (1) में बनाया जाए। यह तब प्रावधान [2020] 10 एस. सी. आर. बनाने के लिए खुला नहीं होगा।

शारीरिक रूप से विकलांग के पक्ष में सेवाओं में आरक्षण के लिए,

सेना के जवान और स्वतंत्रता सेनानी और उनके आश्रित, परियोजना प्रभावित व्यक्ति आदि। व्यक्तियों के पक्ष में किया गया वर्गीकरण

इन श्रेणियों से संबंधित खंड (2) द्वारा प्रभावित नहीं है। इसके अलावा

तथ्य यह है कि वे सभी वर्गों में कटौती करते हैं, उनके आरक्षण

खंड (4) के अर्थ के भीतर। इनमें से कुछ हो सकते हैं जबकि कुछ पिछड़े वर्गों से संबंधित हो सकते हैं या

ऐसे वर्ग जिनका सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो।

हालाँकि, वे अपने ही वर्ग में अधिक वंचित हैं कि क्या

आगे या पीछे। इसलिए, इस आधार पर भी इसे करना होगा

यह माना जाए कि अनुच्छेद 16 (4) विभिन्न वर्गों से अलग करता है

जिनका आरक्षण किया जा सकता है, एक विशिष्ट वर्ग, अर्थात। , पीछे की ओर

नागरिकों का वर्ग, जोर देने और चीजों को संदेह से परे रखने के लिए।

431. इन्हीं कारणों से, यह भी मानना होगा कि अब तक

जैसा कि "पिछड़े वर्गों" का संबंध है, उनके लिए आरक्षण

जिन वर्गों के लिए आरक्षण किया जा सकता है अनुच्छेद 16 (1)। इसलिए, अनुच्छेद 16 (4) सभी का संपूर्ण है -

आरक्षण जो पिछड़े वर्गों के लिए किया जा सकता है,

लेकिन उन आरक्षणों का संपूर्ण नहीं है जो कक्षाओं के लिए किए जा सकते हैं

अनुच्छेद 16 (1) के तहत पिछड़े वर्गों के अलावा। तो भी, नहीं।

अनुच्छेद 16 (4) के तहत अन्य वर्गों के लिए आरक्षण दिया जा सकता है।

432. यहाँ यह जोड़ा जा सकता है कि आरक्षण में विभिन्न प्रकार के समय लग सकते हैं। चाहे वे पिछड़े या अन्य वर्गों के लिए बनाए गए हों।

इनमें वरीयताएँ, रियायतें, छूट, और अतिरिक्त शामिल हो सकते हैं।

सुविधाएँ आदि या नियुक्तियों में एक विशेष कोटा जैसा कि

वर्तमान मामला। जब के लिए एक विशेष कोटा के अलावा अन्य उपाय

वर्गों को उन्हें अनुच्छेद 16 (4) और अन्य वर्गों में देखना होगा। अनुच्छेद 16 (1)। ”

(जोर दिया गया)

((ग) एस. रत्नवेल पांडियन, जे. (स्वयं के लिए) की राय ली जाती है।

इसके अलावाः

पंजाब राज्य और ओ. आर. एस. वी. डेविंदर सिंह और हमारा। [अरुण मिश्रा, जे।]

" 168. मेरे विचार में, अनुच्छेद 16 का खंड (4) अनुच्छेद 16 (1) और (2) का अपवाद नहीं है, बल्कि यह एक सक्षम प्रावधान है और अनुच्छेद 16 (1) और (2) पर हावी होने के लिए अनुमत है; कि यह सेवाओं में नियुक्तियों या पदों के लिए आरक्षण का एक स्रोत है जहां तक नागरिकों के पिछड़े वर्ग का संबंध है और खंड (1) के तहत

अनुच्छेद 16 के अनुसार नियुक्तियों या पदों के लिए आरक्षण किया जा सकता है।

समाज के अन्य वर्गों जैसे शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए

आदि।

169. इस न्यायालय की न्यायिक राय में पूर्ण सहमति है कि अनुच्छेद 16 (4) के तहत राज्य पर्याप्त प्रावधान कर सकता है। किसी पिछड़े के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए

नागरिकों का वर्ग, यदि राज्य की राय में ऐसा 'पिछड़ा' है राज्य में 'वर्ग' का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। वास्तव में बी में।

वेंकटरमण बनाम। मद्रास राज्य, ए. आई. आर. 1951 एस. सी. 229, इस न्यायालय की सात न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय दिया कि "[आर] में पदों का आरक्षण

असंवैधानिक माना जाता है "। इस न्यायालय के एक भी फैसले ने आरक्षण की संवैधानिक वैधता पर जरा भी संदेह नहीं किया है। इसलिए, कानून की उपरोक्त स्थिति को देखते हुए, मैं इस प्रश्न पर विस्तृत चर्चा शुरू करने के लिए इच्छुक नहीं हूं। किसी भी आगे "।

20. पंजाब राज्य की ओर से यह तर्क दिया गया कि राज्य द्वारा कुछ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों को वरीयता दी जाती है

जनजातियाँ अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करती हैं लेकिन आनुपातिक समानता लाती हैं।

बोधगम्य अंतर के आधार पर किया गया वर्गीकरण अंतर-से-पिछड़ेपन और जनसंख्या में हिस्सेदारी बनाम अनुपात है। सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधित्व। यह अंतर उस उद्देश्य के साथ एक उचित संबंध रखता है जिसे प्राप्त करने की मांग की गई थी। जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के असमान वर्ग हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ दिया जा सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अनुच्छेद 14 के तहत गारंटी के अनुसार उन्हें लाभ पहुंचे। इस उद्देश्य के लिए, निम्नलिखित निर्णयों पर निर्भरता रखी गई है:

मैरी चंद्र शेखर राव बनाम। डीन, सेठ जी. एस. मेडिकल कॉलेज और अन्य। , (1990) 3 एस. सी. सी. 130, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

" 8. संविधान का अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। हालाँकि, अनुच्छेद 15 (4) में आदेश दिया गया है कि उस अनुच्छेद में या अनुच्छेद 29 के खंड (2) में कुछ भी नहीं है।

संविधान राज्य को कोई विशेष [2020] 10 एस. सी. आर. बनाने से रोकेगा।

नागरिकों के किसी भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उन्नति का प्रावधान। इसलिए, अनुसूचित जनजातियों या अनुसूचित जातियों की उन्नति के उद्देश्य से आरक्षण

भारत के क्षेत्र के भीतर कानून और कानून का समान संरक्षण। हालाँकि, जहाँ असमान लोगों के बीच अवसर की वास्तविक समानता लाने के उद्देश्य से यह आवश्यक है, वहाँ कुछ आरक्षण आवश्यक हैं और इन्हें सुनिश्चित किया जाना चाहिए। संविधान के तहत समानता एक गतिशील अवधारणा है जिसमें बराबरी की हर प्रक्रिया शामिल होनी चाहिए। समानता को आजीविका बनना चाहिए। बड़ी संख्या में लोगों के लिए वास्तविकता। जो असमान हैं, वास्तव में, उनके साथ समान मानकों द्वारा व्यवहार नहीं किया जा सकता है; वह हो सकता है

अक्षमताएँ लेकिन क्षमताओं की उपस्थिति पर। यह केवल कानूनी समानता का मामला नहीं है। न्यायिक समानता को अंततः अपना कारण ढूंढना होगा। वास्तविक समानता में। इसलिए, राज्य को उन लोगों को बनाने के उद्देश्य से प्रतिपूरक राज्य कार्रवाई का सहारा लेना चाहिए जो अपनी संपत्ति, शिक्षा या सामाजिक मामलों में वास्तव में असमान हैं।

पर्यावरण, निर्दिष्ट क्षेत्रों में समान। समाज में मौजूद वास्तविक असमानताओं को ध्यान में रखना और वास्तविक समानता लाने के लिए सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित व्यक्तियों को वरीयता और आरक्षण देने या अधिक लाभप्रद लोगों पर बाधाएं डालने के माध्यम से सकारात्मक कार्रवाई करना आवश्यक है। इस तरह की सकारात्मक कार्रवाई, हालांकि स्पष्ट रूप से भेदभावपूर्ण है, वास्तविक असमानताओं को समाप्त करके और समुदाय के कमजोर वर्गों को मजबूत और अधिक शक्तिशाली वर्गों के साथ समानता के आधार पर रखते हुए व्यापक आधार पर समानता पैदा करने के लिए गणना की जाती है ताकि समुदाय का प्रत्येक सदस्य, चाहे उसका जन्म, व्यवसाय या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो, समान रूप से आनंद ले सके। शरीर, चरित्र और बुद्धि की अपनी प्राकृतिक उपलब्धियों का पूरा उपयोग करने का अवसर। इस संबंध में, प्रदीप जैन बनाम में इस न्यायालय की टिप्पणियों का संदर्भ दिया जा सकता है। भारत संघ, (1984) 3 एस. सी. सी. 654। "

(जोर दिया गया)

पंजाब राज्य और ओ. आर. एस. वी. डेविंदर सिंह और हमारा। [अरुण मिश्रा, जे।]

((ii) डॉ. प्रदीप जैन और अन्य। वी. भारत संघ और अन्य। ,

4) 3 एस. सी. सी. 654 में निम्नलिखित अवलोकन किए गए:

बहुत सच है, अर्थात्, "शेर और बैल के लिए एक कानून उत्पीड़न है"। वास्तव में, जो असमान हैं, उनके साथ समान व्यवहार नहीं किया जा सकता है

मानक; जो कानून में समानता हो सकती है लेकिन यह निश्चित रूप से नहीं होगी

वास्तविक समानता बनें। इसलिए इस बात को ध्यान में रखना आवश्यक है कि

वंचित व्यक्ति या, उन पर अधिक बाधाएं डालना वास्तविक समानता लाने के लिए, लाभप्रद रूप से रखा गया। .....

(जोर दिया गया)

(iii) भारत संघ और अन्य में। वी. राकेश कुमार और अन्य। , (2010)

सी50, यह राय दी गई थी:

" 37. यह हमारी कानूनी प्रणाली में एक अच्छी तरह से स्वीकृत आधार है कि विचार

जैसे "मूल समानता" और "वितरण न्याय" पर हैं

समान सुरक्षा की गारंटी के बारे में हमारी समझ का दिल

कानून के सामने "। राज्य असमान लोगों के साथ अलग तरह से व्यवहार कर सकता है

सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में समान अवसर पैदा करने का उद्देश्य

और राजनीतिक क्षेत्र। सवाल यह है कि क्या "उचित" है। "वर्गीकरण" बोधगम्य भिन्नता के आधार पर किया गया है।

और क्या एक ही मानदंड एक वैध के साथ एक सीधा संबंध रखता है

सरकारी उद्देश्य। सकारात्मक की वैधता की जांच करते समय

कार्रवाई के उपाय, जांच मानक द्वारा नियंत्रित की जानी चाहिए

"सख्त जांच" के मानक के बजाय आनुपातिकता का। में से बेशक, इन सकारात्मक कार्रवाई उपायों को समय-समय पर किया जाना चाहिए

समीक्षा की गई और विभिन्न उपायों को समय-समय पर संशोधित या अनुकूलित किया गया बदलते सामाजिक और आर्थिक स्थितियों के अनुरूप समय।

पंचायतों में सीटों का आरक्षण एक ऐसा सकारात्मक कदम है

संविधान के भाग IX द्वारा सक्षम उपाय।

(जोर दिया गया)

((iv) देगा में वेंकट हर्ष वर्धन और अन्य। वी. अकुला वेंटाका

हर्षवर्धन और ओआरएस। , (2019) 12 एस. सी. सी. 735, इसी तरह के अवलोकन थे

.

21. वस्तु-उन्मुख दृष्टिकोण को अपनाया जाना चाहिए जैसा कि देखा गया है

आर. चौधरी बनाम। पंजाब राज्य और अन्य। , ए. आई. आर. 2001 एस. सी. 2707, [2020] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

1. पाई फाउंडेशन और ओआरएस। वी. कर्नाटक राज्य और अन्य। , (2002) सी 481, शोभा हेमवती देवी बनाम। सेट्टी गंगाधर स्वामी और

एयर 2005 एससी 800। एम. नागराज में निम्नलिखित अवलोकन किए गए हैं -

बनाया गयाः

अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता समाप्त हो जाएगी। रे में। क्रीमी परत अवधारणा का अनुप्रयोग

लूटी गई जातियाँः22. (क) इंद्र साहनी में, पिछड़े लोगों के रूप में पहचाने जाने वालों के भीतर, सामाजिक और शारीरिक रूप से उन्नत लोगों को बहिष्कृत करने की अनुमति दी गई थी। बी. पी. जीवन रेड्डी, जे. (अपने और अन्य लोगों के लिए)

न्यायाधीशों) ने इस प्रकार टिप्पणी कीः

" 792. ..... जबकि हम सहमत हैं कि खंड (4) का उद्देश्य समूह बनाना है। पिछड़ेपन के कारण, हम महसूस करते हैं कि ऐसे सामाजिक रूप से उन्नत सदस्यों का बहिष्कार 'वर्ग' को वास्तव में पिछड़ा वर्ग बना देगा और खंड (4) के उद्देश्य और उद्देश्य को अधिक उचित रूप से पूरा करेगा। (यह चर्चा केवल अन्य पिछड़े वर्गों तक ही सीमित है और अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के मामले में इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है)।

795. हम यह कहकर "नागरिकों का पिछड़ा वर्ग" अभिव्यक्ति के अर्थ को अर्हता प्राप्त करने या प्रतिबंधित करने का कोई कारण नहीं देखते हैं कि इसका अर्थ है

वे अन्य पिछड़े वर्ग जो समान रूप से स्थित हैं

अनुसूचित जाति और/या अनुसूचित जनजाति। जैसा कि पैरा में बताया गया है

जनजातियाँ समान रूप से स्थित हैं और न ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समान रूप से स्थित हैं। यदि कोई समूह या वर्ग अनुसूचित जातियों के समान स्थित है, तो उनके पास एक मामला हो सकता है उस वर्ग में समावेशन, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तव में या सिद्धांत रूप में यह मानने का कोई आधार नहीं है कि अन्य वर्ग/समूह पंजाब और ओ. आर. एस. राज्य में स्थित होने चाहिए।

वी. डेविंदर सिंह और हमारा। [अरुण मिश्रा, जे।]

देश या राज्य की पूरी आबादी, जैसा भी मामला हो। इससे ज्यादा कुछ कहना मुश्किल है। पिछड़ेपन का पता लगाने की प्रक्रिया कितनी कठिन है, यह पता चल जाएगा अगर कोई इस पर गौर करे। मंडल आयोग की रिपोर्ट के खंड I के अध्याय III और XI के साथ खंड II में परिशिष्ट XII और XXI। इसे छोड़ देना चाहिए।

एक उचित और प्रासंगिक मानदंड विकसित करने और उस मानदंड के खिलाफ लोगों के कई समूहों, जातियों, वर्गों और वर्गों का परीक्षण करने के लिए पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए नियुक्त आयोग/प्राधिकरण को। यदि, किसी भी मामले में, किसी विशेष जाति या वर्ग को गलत तरीके से नामित किया जाता है या पिछड़े वर्ग के रूप में नामित नहीं किया जाता है, तो उस पर हमेशा अदालत के समक्ष भी सवाल उठाया जा सकता है। हम यह भी जोड़ सकते हैं कि मंडल आयोग (अध्याय 11) द्वारा विकसित मानदंडों की प्रासंगिकता पर हमारे सामने किसी भी वकील द्वारा सवाल नहीं उठाया गया है। वास्तविक पहचान एक अलग मामला है, जिसे हम कहीं और देखेंगे।

796. - 797 . अब हम प्रश्न संख्या 3 के तहत अपनी चर्चा को संक्षेप में प्रस्तुत कर सकते हैं। (क) एक जाति भारत में एक सामाजिक वर्ग हो सकती है और अक्सर होती है। यदि यह सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है, तो यह पिछड़े वर्ग के लिए एक पिछड़ा वर्ग होगा।

अनुच्छेद 16 (4) के उद्देश्य। गैर-हिंदुओं में कई व्यावसायिक समूह, संप्रदाय और संप्रदाय हैं, जो ऐतिहासिक हैं।

कारण सामाजिक रूप से पिछड़े हैं। वे भी अनुच्छेद 16 (4) के प्रयोजनों के लिए पिछड़े सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व करते हैं। (ख) न तो संविधान और न ही कानून पिछड़े वर्गों की पहचान की प्रक्रिया या विधि निर्धारित करता है। न ही न्यायालय के लिए ऐसी कोई प्रक्रिया या विधि निर्धारित करना संभव या उचित है। यह पहचान करने के लिए नियुक्त प्राधिकारी पर छोड़ दिया जाना चाहिए। इसे अपनाया जा सकता है

विधि/प्रक्रिया जैसा कि यह सुविधाजनक समझता है और जब तक इसका सर्वेक्षण पूरी आबादी को शामिल करता है, तब तक इस पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती है।

पिछड़े वर्गों की पहचान निश्चित रूप से अन्य समूहों, वर्गों और लोगों के वर्गों के बीच और उनके साथ जातियों के संदर्भ में की जा सकती है। कोई भी जाति के साथ प्रक्रिया शुरू कर सकता है, जहां भी वे पाए जाते हैं, मानदंड (पिछड़ेपन को निर्धारित करने के लिए विकसित) को लागू कर सकते हैं और यह पता लगा सकते हैं कि क्या यह मानदंडों को पूरा करता है। यदि ऐसा होता है-तो जो उभरता है वह है नागरिकों का एक "पिछड़ा वर्ग"। अनुच्छेद 16 (4) का अर्थ और उसके प्रयोजनों के लिए।

अन्य व्यावसायिक समूहों के मामले में अपनाया जा सकता है,

समुदाय और वर्ग, ताकि पूरी आबादी को शामिल किया जा सके। द.

केंद्रीय विचार और समग्र उद्देश्य सभी उपलब्ध बातों पर विचार करना होना चाहिए। समाज में समूह, वर्ग और वर्ग। चूंकि जाति एक का प्रतिनिधित्व करती है

विद्यमान, पहचान योग्य सामाजिक समूह/वर्ग जिसमें एक देश की आबादी का भारी बहुमत, एक अच्छी तरह से कर सकते हैं

इसके साथ शुरू करें और फिर अन्य समूहों, वर्गों और कक्षाओं में जाएं। ((ग)

वर्ग कि यह अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जातियों के समान स्थित है जनजातियाँ। (घ) 'मलाईदार परत' को बाहर किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। (ई) यह है

यह कहना सही नहीं है कि अनुच्छेद द्वारा विचार किया गया पिछड़ा वर्ग

16 (4) सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों तक सीमित है

अनुच्छेद 15 (4) और अनुच्छेद 340 में संदर्भित। यह बहुत व्यापक है। द.

सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन की परीक्षा या आवश्यकता नहीं हो सकती है

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर लागू किया जाए, जो

निस्संदेह "नागरिकों का पिछड़ा वर्ग" अभिव्यक्ति के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 16 (4) में सामाजिक पिछड़ेपन पर जोर दिया गया प्रतीत होता है।

बेशक, सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ेपन हैं

भारतीय संदर्भ में निकटता से जुड़ा हुआ है। विचार की गई कक्षाएँ

अनुच्छेद 16 (4) द्वारा अनुछेद द्वारा अनुध्यात अनुछेद से अधिक व्यापक हो सकता है।

15 (4) . ”

(जोर दिया गया)

23. जरनैल सिंह में, यह माना गया था कि मलाई का उपयोग

अनुच्छेद 341 और 342 की अवधारणा में किसी भी तरह से छेड़छाड़ नहीं की गई है।

आवासीय सूची। निम्नलिखित चर्चा की गईः

" 26. आरक्षण का पूरा उद्देश्य यह देखना है कि पिछड़े नागरिकों के वर्ग आगे बढ़ते हैं ताकि वे हाथ मिला सकें

समान आधार पर भारत के अन्य नागरिकों के साथ हाथ मिलाएँ। यह नहीं होगा। संभव है अगर केवल उस वर्ग के भीतर मलाईदार परत सभी बैग

सार्वजनिक क्षेत्र में प्रतिष्ठित नौकरियां और खुद को स्थायी बनाते हुए, छोड़ देते हैं

बाकी वर्ग हमेशा की तरह पिछड़े हुए थे। यह तो है

मामला, यह स्पष्ट है कि जब एक अदालत मलाईदार परत लागू करती है

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सिद्धांत, इसमें नहीं है

342 भारत का संविधान। जाति या समूह या उप-समूह उक्त सूची में नामित किया गया नाम ठीक पहले की तरह जारी है। केवल वे ही हैं

उस समूह या उप-समूह के भीतर के व्यक्ति, जो बाहर आए हैं

पंजाब और ओ. आर. एस. राज्य से संबंधित होने के कारण अस्पृश्यता या पिछड़ेपन।

वी. डेविंदर सिंह और हमारा। [अरुण मिश्रा, जे।]

मलाईदार परत, जिन्हें आरक्षण के लाभ से बाहर रखा गया है। यहाँ तक कि ये व्यक्ति जो समूह या उप समूह में शामिल हैं

राष्ट्रपति की सूचियों में उन सूचियों के भीतर रहना जारी है। यह.

समूह

जब अनुच्छेद 14 और 16 के तहत आरक्षण सिद्धांत के लागू होने की बात आती है, तभी उस उप समूह के भीतर क्रीमी परत को इस तरह के आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता है। 27. हम इस बात में जाने की आवश्यकता नहीं समझते हैं कि संसद अनुच्छेद 341 और 342 के तहत निहित राष्ट्रपति की सूचियों से मलाईदार परत को बाहर कर सकती है या नहीं। यहां तक कि इस धारणा पर भी कि अनुच्छेद 341 और 342 संसद को बाहर करने का अधिकार देते हैं

इनके भीतर निहित समूहों या उप-समूहों से मलाईदार परत

सूची में, यह स्पष्ट है कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 को लागू करने वाले संवैधानिक न्यायालयों को क्रीमी लेयर को बाहर करने के लिए इस अभ्यास में इस तथ्य से विफल नहीं कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति सूची में किसी विशेष समूह या उप-समूह के भीतर बताए गए व्यक्तियों को क्रीमी लेयर सिद्धांत को लागू करने पर संसद द्वारा बाहर रखा जा सकता है। संवैधानिक कानून में अक्सर लागू किए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक सामंजस्यपूर्ण व्याख्या का सिद्धांत है। जब अनुच्छेद 14 और 16 सामंजस्यपूर्ण होते हैं

अन्य अनुच्छेद 341 और 342 के साथ व्याख्या करते हुए, यह स्पष्ट है कि

संसद को प्रासंगिक कारकों के आधार पर राष्ट्रपति की सूची से व्यक्तियों को शामिल करने या बाहर करने की पूरी स्वतंत्रता होगी।

इसी तरह, संवैधानिक न्यायालय, आरक्षण के सिद्धांत को लागू करते समय, संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत समानता के सिद्धांतों को लागू करते समय ऐसे समूहों या उप-समूहों से मलाईदार परत को बाहर करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर होंगे।

भारत से। हम अशोक कुमार ठाकुर (2008) 6 एस. सी. सी. 1 में सी. जे. बालकृष्णन के इस कथन से सहमत नहीं हैं कि मलाईदार परत

28. इसलिए, जब नागराज, (2006) 8 एस. सी. सी. 212 ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए क्रीमी लेयर परीक्षण लागू किया। अनुच्छेद 16 (4-ए) और 16 (4 बी) की ओर ले जाने वाले संवैधानिक संशोधनों को बनाए रखने के लिए मूल संरचना परीक्षण के अनुप्रयोग का प्रयोग, यह किसी भी तरह से अनुच्छेद 341 या अनुच्छेद 342 के तहत संसद की शक्ति में हस्तक्षेप नहीं करता है। इसलिए, हमारी स्पष्ट रूप से राय है कि निर्णय के इस भाग पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता नहीं है, और परिणामस्वरूप, नागराज, (2006) 8 [2020] 10 एस. सी. आर. को संदर्भित करने की आवश्यकता नहीं है।

एस. सी. सी. 212 से सात न्यायाधीशों की पीठ। हम इस समय भी जोड़ सकते हैं।

कि नागराज, (2006) 8 एस. सी. सी. 212 पाँच का सर्वसम्मत निर्णय है।

इस न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश जो वर्ष भर से शासन कर रहे हैं 2006. इस निर्णय का बार-बार पालन किया गया है और इसके द्वारा लागू किया गया है

इस न्यायालय के कई निर्णय, अर्थात्:

28.1. अनिल चंद्र बनाम। राधा कृष्ण गौर (2009) 9 एस. सी. सी.

454 (दो-न्यायाधीश पीठ) (पैरा 17 और 18 देखें)।

28.2. सूरज भान मीणा बनाम। राजस्थान राज्य (2011) 1 एस. सी. सी.

467 (दो-न्यायाधीश पीठ) (पैरा 10,50 और 67 देखें)। 28.3. यू. पी. पावर कार्पोरेशन लिमिटेड वी. राजेश कुमार, (2012) 7 एससीसी

1 , (दो-न्यायाधीश पीठ) [पैरा 61,81 (ix) और 86 देखें]।

28.4. एस. पन्नीर सेल्वम बनाम टी. एन. राज्य, (2015) 10 एस. सी. सी. 292, (दो-न्यायाधीश पीठ) (पैरा 18,19 और 36 देखें)।

(2015) 12 एस. सी. सी. 308 (दो-न्यायाधीश पीठ) (पैरा 9 और 26 देखें)। 28.6. सुरेश चंद गौतम बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (2016) 11 एस. सी. सी.

113 (दो-न्यायाधीश पीठ) (पैरा 2 और 45 देखें)।

28.7. बी. के. पवित्रा बनाम भारत संघ, (2017) 4 एससीसी 620 (दो)

न्यायाधीश पीठ) (पैरा 17 से 22 देखें)।

(जोर दिया गया)

24. रिलायंस को अशोक कुमार ठाकुर बनाम पर रखा गया है।

भारत का एन और ओआरएस। , (2008) 6 एस. सी. सी. 1, इंद्र साहनी (ऊपर) में एक महत्वपूर्ण निर्णय अन्य पिछड़े वर्गों तक सीमित था, न कि अनुसूचित जातियों तक। यह देखा गया:

" 395.साहनी (I), 1992 सप्लीमेंट (3) एस. सी. सी. 217 में, पूरे

चर्चा केवल अन्य पिछड़े वर्गों तक ही सीमित थी। इसी तरह, तत्काल मामले में, पूरी चर्चा केवल तक ही सीमित थी

अन्य पिछड़े वर्ग। इसलिए, मैं कोई राय व्यक्त नहीं करता। क्रीमी परत के अपवर्जन की प्रयोज्यता के संबंध में

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति।

परत बहिष्करण केवल ओ. बी. सी. के संबंध में था। रेड्डी, जे. बोल रहे हैं एस. सी. सी. पी. में बहुमत के लिए। 725 , पैरा 792 में कहा गया है कि "[टी] उनका

चर्चा केवल अन्य पिछड़े वर्गों तक ही सीमित है और

अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित राज्य पंजाब और ओ. आर. एस. के मामले में कोई प्रासंगिकता नहीं है।

वी. डेविंदर सिंह और हमारा। [अरुण मिश्रा, जे।]

जातियाँ "। इसी तरह, तत्काल मामले में, पूरी चर्चा थी

केवल अन्य पिछड़े वर्गों तक ही सीमित। इसलिए, मैं व्यक्त करता हूँ मलाई के अपवर्जन की प्रयोज्यता के संबंध में कोई राय नहीं

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए परत "। " 9

(जोर दिया गया)

अशोक कुमार (उपरोक्त) में इस संबंध में कोई राय व्यक्त नहीं की गई थी।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए मलाईदार परत अवधारणा।

वर्गीकरण और इस प्रकार किसी को भी वंचित किए बिना तरजीही उपचार आरक्षण का जातिगत लाभ।

25. यह तर्क दिया गया था कि ई. वी. चिन्नैया अन्य बाध्यकारी के विपरीत है।

के. सी. वसंत कुमार और एन. एम. थॉमस में निर्णय।

(क) के. सी. में एम. आर. बालाजी में वसंत कुमार का निर्णय था

प्रतिष्ठित। यह माना गया कि अधिक पिछड़े वर्गों की मदद के लिए पिछड़े और अधिक पिछड़े के बीच वर्गीकरण आवश्यक है। उप.

वर्गीकरण को उन वर्गों की मदद करने के लिए अनुमत माना गया था जो निश्चित रूप से उन्नत वर्गों से बहुत पीछे हैं, लेकिन बहुत पिछड़े वर्गों से आगे हैं। निम्नलिखित राय व्यक्त की गई:

" 55. बालाजी, ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 649 में भी यह देखा गया था कि पिछड़े वर्ग के बीच आरक्षण आदेश द्वारा किया गया उप-वर्गीकरण

वर्ग और अधिक पिछड़े वर्ग उचित नहीं प्रतीत होते थे।

अनुच्छेद 15 (4) के तहत जैसा कि यह एक उपाय प्रतीत होता है

राज्य में सबसे उन्नत वर्गों की तुलना में, और वह यह अनुच्छेद 15 (4) का दायरा नहीं था। उप-वर्गीकरण का परिणाम

पीछे माना जाता है। इस तरह के पाठ्यक्रम का औचित्य हो सकता है - प्रत्येक मामले के तथ्यों पर सवाल करने के लिए खुला है, लेकिन हम नहीं देखते कि क्यों

सिद्धांत रूप में पिछड़े वर्गों में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है।

और अधिक पिछड़े वर्ग, यदि दोनों वर्ग केवल थोड़े नहीं हैं

पीछे, लेकिन सबसे उन्नत वर्गों से बहुत पीछे। वास्तव में ऐसा

अधिक पिछड़े लोगों की मदद के लिए एक वर्गीकरण आवश्यक होगा। वर्ग; अन्यथा पिछड़े वर्गों के जो एक हो सकता है

अधिक पिछड़े वर्गों की तुलना में थोड़ा अधिक उन्नत [2020] 10 एस. सी. आर.

सभी सीटों के साथ दूर, जैसे कि आरक्षण तक ही सीमित था

अधिक पिछड़े वर्ग और थोड़ा आरक्षण नहीं किया गया था

जनरल के लिए उपलब्ध सभी सीटों के साथ चले जाएंगे पिछड़े वर्गों के लिए कोई नहीं छोड़ते हैं। हम सब कुछ कर सकते हैं

मान लीजिए कि उप-वर्गीकरण अनुमत हो सकता है यदि वर्ग हैं

ऐसे लोग जो निश्चित रूप से उन्नत वर्गों से बहुत पीछे हैं लेकिन बहुत पिछड़े वर्गों से आगे "।

(जोर दिया गया)

(ख) एन. एम. थॉमस में, यह देखा गया था कि कोई नहीं हो सकता है

एक वर्ग के भीतर आगे के वर्गीकरण के लिए। यह माना जाता है कि पुरुषों

या अलग है, और किसी प्रकार के विभेदक उपचार की आवश्यकता है

समानुपाती समानता। न्यायालय ने इस प्रकार राय दीः

" 82.अनुच्छेद 16 (2) में "जाति" शब्द में "अनुसूचित" शब्द शामिल नहीं है।

जाति "। अनुच्छेद 366 (24) में "अनुसूचित जातियों" की परिभाषा

मतलब

ऐसी जातियाँ, जातियाँ या जनजातियाँ या उनके कुछ भाग या समूह अनुच्छेद 341 के तहत जिन जातियों, नस्लों या जनजातियों को माना जाता है

इस संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुसूचित जातियाँ।

यह दर्शाता है कि यह राष्ट्रपति की अधिसूचना के आधार पर है

कि अनुसूचित जातियाँ अस्तित्व में आएँ। हालांकि सदस्यों ने अनुसूचित जातियों को जातियों, नस्लों या जनजातियों से लिया जाता है,

वे राष्ट्रपति की अधिसूचना के आधार पर एक नया दर्जा प्राप्त करते हैं।

इसके अलावा, हालांकि जनजाति के सदस्यों को शामिल किया जा सकता है अनुच्छेद 16 (2) में अनुसूचित जाति, जनजाति का उल्लेख नहीं है।

83.एक वर्गीकरण उचित है यदि इसमें वे सभी व्यक्ति शामिल हैं जो समान रूप से कानून के उद्देश्य के संबंध में स्थित है। अन्य में

शब्दों में, वर्गीकरण कुछ उचित पर आधारित होना चाहिए

आधार जो उन व्यक्तियों को अलग करता है जो एक साथ समूहीकृत हैं और

भेद के आधार का वस्तु के साथ तर्कसंगत संबंध होना चाहिए

नियम या यहां तक कि विचाराधीन नियमों द्वारा प्राप्त करने की मांग की गई। यह.

एक प्राथमिकता मान लेना एक गलती है कि कोई वर्गीकरण नहीं हो सकता है एक वर्ग के भीतर, मान लीजिए, निचले विभाग के क्लर्क। अगर समझ में आता है

भिन्नता जो उस वर्ग के भीतर एक समूह को अलग करती है

बाकी और उस अंतर का वर्गीकरण के उद्देश्य के साथ संबंध है,

मुझे वर्ग के भीतर आगे के वर्गीकरण पर कोई आपत्ति नहीं दिखाई देती है। यह है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह एक विरोधाभास है कि हालांकि एक अर्थ में वर्गीकरण पंजाब और ओआरएस का राज्य लाता है।

वी. डेविंदर सिंह और हमारा। [अरुण मिश्रा, जे।]

असमानता के बारे में, यह समानता को बढ़ावा देता है यदि इसका उद्देश्य लाना है

जो एक वर्ग के तहत एक सामान्य विशेषता साझा करते हैं

पर्याप्त और उचित कारणों के लिए विभेदक उपचार। इसमें

विचार से, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि अखिल भारतीय में निर्धारित सिद्धांत

स्टेशन मास्टर्स एंड असिस्टेंट स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन बनाम। महाप्रबंधक, मध्य रेलवे, (1960) 2 एससीआर 311; एस. जी.

जयसिंघानी बनाम। भारत संघ और जम्मू-कश्मीर राज्य। वी. त्रिलोकी

नाथ खोसा, (1974) 1 एस. सी. आर. 771 का यहाँ कोई आवेदन नहीं है।

***

***

***

167. अनुच्छेद 46 और खंड (24) और (25) का संयुक्त पठन

अनुच्छेद 366 स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि अनुसूचित के सदस्य

जातियों और अनुसूचित जनजातियों को पिछड़े माना जाना चाहिए नागरिकों के वर्ग, विशेष रूप से जब संविधान देता है

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का उदाहरण

समाज के कमजोर वर्ग।

169. इस प्रकार इन प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए,

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को दिया गया है संविधान में विशेष दर्जा और वे द्वारा एक वर्ग का गठन

स्वयं। कि यह स्थिति होने के कारण कि वे गिरते नहीं हैं

संविधान के अनुच्छेद 16 (2) के दायरे में जो

एक ही जाति के सदस्यों के बीच भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। यदि, इसलिए, अनुसूचित जातियों के सदस्य और

अनुसूचित जनजातियाँ जातियाँ नहीं हैं, तो यह राज्य के लिए खुला है

इन्हें आगे बढ़ाने के लिए उचित वर्गीकरण करें।

वर्ग ताकि वे ठीक से प्रतिनिधित्व करने में सक्षम हो सकें

राज्य के अधीन सेवाएँ। यह निस्संदेह के तहत किया जा सकता है

संविधान का अनुच्छेद 16 (1) "।

(जोर दिया गया)

26. यह तर्क दिया गया था कि नागरिकों के वर्ग के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जा सकता

जो लोग आए हैं वे हमेशा के लिए और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं

इसे मलाईदार परत की तरह बाहर रखा जाना चाहिए। सवाल यह है कि इस तरह के वर्ग के न्यायालयों द्वारा। न्यायालय की शक्ति को बरकरार रखा गया था

इल सिंह। प्रस्तुतिकरण को घर ले जाने के लिए, निर्भरता रखी गई है

जगदीश नेगी, अध्यक्ष, उत्तराखंड जन मोर्चा, जिसमें यह

निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गयाः

" 9. इसलिए यह स्पष्ट है कि पहाड़ियों और उत्तराखंड के निवासी क्षेत्रों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के रूप में माना जाता था [2020] 10 एस. सी. आर.

मामला। लेकिन केवल इस आधार पर यह आग्रह नहीं किया जा सकता है कि नागरिकों के इस वर्ग की सामाजिक और शैक्षिक रूप से निंदा की जा सकती है। नागरिकों का पिछड़ा वर्ग अनंत काल तक, चाहे वे कितना भी हों

नागरिकों के शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के रूप में कलंकित होना पसंद करते हैं। इस वर्ग को हमेशा एक निश्चित समय पर मौजूदा तथ्य स्थिति के आलोक में आंका जाना आवश्यक है। नागरिकों का ऐसा कोई वर्ग नहीं हो सकता है जिसे हमेशा के लिए एक माना जा सके।

नागरिकों का सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग। प्रत्येक नागरिक को सामाजिक और शैक्षिक रूप से विकास करने का अधिकार है। ....

14. हालाँकि, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील के इस तर्क से सहमत होना संभव नहीं है कि इस तरह का आरक्षण बिना किसी सीमा के जारी रहना चाहिए या उक्त आरक्षण नीति के बारे में आवधिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। ..... नतीजतन यह सवाल कि क्या नागरिकों की एक दी गई श्रेणी किसी निश्चित समय पर सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के नागरिक बनी हुई है या नहीं, समय-समय पर अपने वस्तुनिष्ठ निर्णय के लिए संबंधित राज्य पर छोड़ दिया जाता है। नागरिकों के ऐसे वर्गों के साथ हमेशा के लिए सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के रूप में व्यवहार करने के लिए राज्य हमेशा के लिए बाध्य नहीं हो सकता है। "एक बार बंधक हमेशा एक बंधक" के सिद्धांत को उस एक बार पिछड़े वर्ग के नागरिक, हमेशा ऐसे पिछड़े वर्ग को प्रस्तुत करने के लिए सेवा में नहीं लगाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, यह राज्य के लिए समय-समय पर स्थिति की समीक्षा करने और यह तय करने के लिए खुला है कि क्या नागरिकों का एक वर्ग जिसने सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के रूप में 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ अर्जित किया है, वह उस श्रेणी का हिस्सा बना हुआ है या नहीं।

अनुच्छेद 15 (4) या अनुच्छेद 16 (4) इस तरह की कवायद को अनधिकृत नहीं कहा जा सकता है। इस तरह के अभ्यास को बरकरार रखा गया है इंद्र साहनी बनाम में इस न्यायालय की संविधान पीठ। संघ का

भारत, 1992 पूरक (3) एस. सी. सी. 217। "

(जोर दिया गया)

रे में। अनुच्छेद 342 ए को शामिल करने का प्रभावः 27. अनुच्छेद 341 यहाँ नीचे निकाला गया हैः

पंजाब राज्य और ओ. आर. एस. वी. डेविंदर सिंह और हमारा। [अरुण मिश्रा, जे।]

" 341. अनुसूचित जातियाँ। (1) राष्ट्रपति सम्मान के साथ

किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए, और जहां वह एक राज्य है, उसके राज्यपाल के साथ परामर्श के बाद, सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा,

जातियों, नस्लों या जनजातियों या उनके भागों या समूहों को निर्दिष्ट करें।

जातियाँ, जातियाँ या जनजातियाँ जो इस उद्देश्य के लिए संविधान को उस संबंध में अनुसूचित जाति माना जाए

राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, जैसा भी मामला हो।

(2) संसद कानून द्वारा निम्नलिखित अधिसूचना में निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल या बहिष्कृत कर सकती है।

खंड (1) किसी भी जाति, नस्ल या जनजाति या किसी भी जाति, नस्ल या जनजाति के भीतर या समूह का हिस्सा, लेकिन उपरोक्त के रूप में उल्लिखित खंड के तहत जारी एक अधिसूचना को किसी भी बाद के द्वारा परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

अधिसूचना "। अनुच्छेद 342 और 342 ए अनुसूचित जनजातियों और सामाजिक रूप से संबंधित हैं।

क्रमशः शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग। इन्हें निकाला जाता है।

इंदौरः

" 342. अनुसूचित जनजातियाँ। - (1) राष्ट्रपति सम्मान के साथ

किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए, और जहां वह एक राज्य है, उसके राज्यपाल के साथ परामर्श करने के बाद, सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा, जनजातियों या जनजातीय समुदायों या जनजातियों या जनजातीय समुदायों के भीतर के हिस्सों या समूहों को निर्दिष्ट करें जो इसके उद्देश्यों के लिए होंगे।

संविधान को उस संबंध में अनुसूचित जनजाति माना जाए

राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, जैसा भी मामला हो।

(2) संसद विधि द्वारा खंड (1) के अधीन जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजातियों की सूची में किसी जनजाति या जनजातीय समुदाय या किसी जनजाति या जनजातीय समुदाय के भीतर या समूह के भाग को शामिल या बहिष्कृत कर सकती है, लेकिन उपरोक्त के अलावा उक्त खंड के अधीन जारी अधिसूचना में बाद की किसी भी अधिसूचना द्वारा परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

अधिसूचना। 342 ए. सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग। — (1)

राष्ट्रपति किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में, और जहां वह एक राज्य है, उसके राज्यपाल के साथ परामर्श करने के बाद, सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा, सामाजिक और शैक्षिक रूप से निर्दिष्ट करें

पिछड़े वर्ग जो इस संविधान के प्रयोजनों के लिए, यथास्थिति, उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग माने जाएंगे।

(2) संसद कानून द्वारा केंद्रीय में शामिल या बाहर कर सकती है

खंड (1) के तहत जारी अधिसूचना में निर्दिष्ट सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची, लेकिन उपरोक्त के अलावा उक्त खंड के तहत जारी अधिसूचना में किसी भी बाद की अधिसूचना द्वारा बदलाव नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद 341 (1) में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति जातियों, नस्लों या जनजातियों या जातियों, नस्लों या जनजातियों के भीतर के समूहों को निर्दिष्ट कर सकते हैं।

किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में। अनुच्छेद 341 (2) के अनुसार, संसद के पास अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने या उन्हें बाहर करने की शक्ति है। अनुच्छेद 366 'अनुसूचित जाति', 'अनुसूचित जनजाति' और 'सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों' को इस प्रकार परिभाषित करता है:

" 366. परिभाषाएँ। इस संविधान में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यकता न हो, निम्नलिखित अभिव्यक्तियाँ हैं -

इसके द्वारा क्रमशः उन्हें दिए गए अर्थ, अर्थात्

(24) " अनुसूचित जातियों से ऐसी जातियाँ, वंश या जनजातियाँ या ऐसी जातियों, जातियों या जनजातियों के कुछ भाग या समूह अभिप्रेत हैं जिन्हें अनुच्छेद 341 के तहत अनुसूचित जातियाँ माना जाता है। इस संविधान के उद्देश्य;

(25) " अनुसूचित जनजातियों का अर्थ है ऐसी जनजातियाँ या जनजातीय

ऐसी जनजातियों के समुदाय या भाग या समूह या अनुच्छेद 342 के तहत जनजातीय समुदाय माने जाते हैं -

इस संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुसूचित जनजातियाँ;

(26(ग) "सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग" से ऐसे पिछड़े वर्ग अभिप्रेत हैं जो अनुच्छेद 342क के तहत इस प्रकार माने जाते हैं। इस संविधान के प्रयोजनों के लिए;

अनुच्छेद 342ए को संविधान (एक सौ दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2018, डब्ल्यू. ई. एफ. 14.8.2018 द्वारा जोड़ा गया है। इंद्र साहनी में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण का सवाल शामिल था। अनुच्छेद 342ए के प्रावधान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अनुच्छेद 341 और 342 के समान हैं। अनुच्छेद 342ए के तहत राष्ट्रपति को सार्वजनिक अधिसूचना जारी करने का अधिकार है। सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के संबंध में जो संविधान के लिए

उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग माने जाएंगे और संसद को कानून द्वारा केंद्रीय सूची में शामिल करने या बाहर करने की शक्ति हो सकती है।

सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग।

परिवर्तन की शक्ति पंजाब और ओआरएस का राज्य। वी. डेविंदर सिंह और हमारा। [अरुण मिश्रा, जे।]

341 और 342 को क्रमशः अनुच्छेद 366 (24) और 366 (25) के साथ पढ़ा जाता है। अनुच्छेद 342 ए के समावेशन को देखते हुए अपार सार्वजनिक महत्व का सवाल उठता है। जब हम इंद्र साहनी पर विचार करते हैं, तो ऐसी अनुमति देते हैं सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग का वर्गीकरण, और अनुच्छेद 341,342 और 342 ए के प्रावधान समान हैं, न्यायालय को ई. वी. चिन्नैया में दिए गए निर्णय पर नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता है। संवैधानिक प्रावधानों की भावना में, इस न्यायालय के अत्यधिक सार्वजनिक होने के कारण इस प्रश्न की आधिकारिक रूप से फिर से जांच करने की आवश्यकता है

महत्व। इस प्रकार, मामले की सुनवाई ई. वी. चिन्नैया द्वारा निर्णय देने वाली पीठ की तुलना में एक बड़ी पीठ द्वारा की जानी आवश्यक है।

क्या उप-वर्गीकरण अनुच्छेद 341 (2) के तहत अपवर्जन के बराबर है?

केंद्रीय सूची में पिछड़े वर्ग, संसद के पास है अधिकार समावेशन या बहिष्करण से संबंधित। एक बार जब बहिष्करण हो जाता है, तो फिर से शामिल करने की कोई शक्ति नहीं होती है। संसद के पास [2020] 10 एस. सी. आर. को शामिल करने या बाहर करने की शक्ति है।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूची से।

29. विचार के लिए प्रश्न यह है कि क्या उप

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के वर्ग के भीतर किए गए वर्गीकरण या तरजीही व्यवहार को समावेश या बहिष्कार की कवायद कहा जा सकता है, विशेष रूप से जब अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की सूची में अन्य जातियां वंचित नहीं हैं। आरक्षण का समग्र रूप से लाभ। अनुसूचित जाति की सूची में शामिल सभी जातियों को आरक्षण का लाभ दिया जाता है।

सेवा में प्रतिनिधित्व, लेकिन केवल एक जाति/वर्ग के लिए तरजीही व्यवहार के लिए निर्धारित विशिष्ट प्रतिशत जो अनुसूचित जातियों के पिछड़े वर्गों के भीतर अधिक पिछड़े होने के कारण आरक्षण का लाभ उठाने में सक्षम नहीं था। तरजीही व्यवहार अनुच्छेद 341 (2) के तहत अनुसूचित जाति की सूची में किसी भी जाति को हुए कुल अभाव के रूप में अन्य वर्गों को बाहर करने के समान नहीं होगा। जाति एक वर्ग के अलावा और कुछ नहीं है। यह वर्गीकरण का मामला गरीबों में सबसे गरीब होने के नाते सभी को और आरक्षण के लाभ से वंचित लोगों को लाभ प्रदान करने का है। क्या लाभ को कम करने के लिए बोधगम्य भेदभाव पर आधारित कार्रवाई को संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन कहा जा सकता है और क्या उप-वर्गीकरण को समावेश या बहिष्कार का कार्य कहा जा सकता है, विशेष रूप से जब विभिन्न रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि अनुसूचित जातियों की सूची में विभिन्न जातियों के बीच असमानता है। वे समरूप वर्ग का गठन नहीं करते हैं, उन पर भरोसा किया गया है। रिपोर्ट के आधार पर और उन लोगों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए जो दलित वर्ग के सबसे पिछड़े बने हुए हैं, प्रावधानों में वरीयता का एक निश्चित प्रतिशत शामिल है

सूची में दूसरों को वंचित किए बिना उपलब्धता के अधीन उपचार किया गया था।

30. संविधान सभा में डॉ. अम्बेडकर द्वारा अनुच्छेद 341 और 342 के अधिनियमन के संबंध में दिए गए भाषण में उन्होंने कहा कि कि उद्देश्य राष्ट्रपति द्वारा इस प्रकार प्रकाशित अनुसूची में गड़बड़ी के मामले में किसी भी प्रकार के राजनीतिक कारक को समाप्त करना है। मिलिंद में इसी का उल्लेख इस प्रकार किया गया है:

" 14. संविधान सभा की बहसों में (आधिकारिक रिपोर्ट,

खण्ड. 9) अनुच्छेद 300 के बाद नए अनुच्छेद 300-ए और 300-बी को जोड़ने के लिए आगे बढ़ते हुए (संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के अनुरूप)

संविधान), डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने निम्नानुसार समझाया:

पंजाब राज्य और ओ. आर. एस. वी. डेविंदर सिंह और हमारा। [अरुण मिश्रा, जे।]

" जैसा कि मैंने कहा, इन दोनों लेखों का उद्देश्य था -

संविधान पर लंबे समय तक बोझ डालने की आवश्यकता को समाप्त करना।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची। अब प्रस्तावित है कि राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल या शासक के परामर्श से

राज्य के पास एक सामान्य अधिसूचना जारी करने की शक्ति होनी चाहिए

राजपत्र में सभी जातियों और जनजातियों या समूहों को निर्दिष्ट किया गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति मानी जाती है

इन विशेषाधिकारों का उद्देश्य जो उनके लिए परिभाषित किए गए हैं

संविधान। एकमात्र सीमा जो लगाई गई है वह यह है:

कि एक बार राष्ट्रपति द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई है, जो,

निस्संदेह, वह इसके साथ और उसके साथ परामर्श करके जारी करेगा

प्रत्येक राज्य सरकार की सलाह, यदि कोई हो इस प्रकार अधिसूचित सूची या किसी भी जोड़ से उन्मूलन किया जाना था

राष्ट्रपति। इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार के राजनीतिक कारकों को समाप्त करना है। कार्यक्रम में गड़बड़ी के मामले में एक खेल होना

राष्ट्रपति द्वारा प्रकाशित "।

(जोर दिया गया)

31. कानून का निपटारा किया जाता है कि एक बार राष्ट्रपति ने एक

अनुच्छेद 341 (1) के तहत अनुसूचित में शामिल सूची को निर्दिष्ट करने वाली अधिसूचना, संसद निम्नलिखित निर्णयों से अनुच्छेद 341 (2) के तहत प्रदान की गई अधिसूचना में बदलाव करने के लिए सक्षम है:

((i) बी. बसावलिंगप्पा बनाम। डी. म्यूनिचिन्नाप्पा, (1965) 1 एससीआर

316 , यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अधिसूचना को संशोधित करने की शक्ति संसद को दी गई थी और कोई भी बाद की अधिसूचना समान रूप से भिन्न नहीं होगी; इसलिए, राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचना बनाना खंड (2) द्वारा प्रदान किए गए कानून द्वारा संशोधन को छोड़कर सभी समय के लिए अंतिम है।

((ii) भैयालाल बनाम। हरिकिशन सिंह (1965) 2 एस. सी. आर. 877

उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 341 (1) के तहत सार्वजनिक अधिसूचना जारी करने से पहले एक विस्तृत जांच की आवश्यकता है। इसके परिणामस्वरूप, जातियों, नस्लों या जनजातियों के लिए सामाजिक न्याय की मांग की जाती है। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के संदर्भ में विनिर्देश हो सकते हैं। शैक्षिक

और सामाजिक पिछड़ेपन पूरे राज्य में समान या समान तीव्रता का नहीं हो सकता है।

((iii) श्रीश कुमार चौधरी बनाम। त्रिपुरा राज्य और अन्य। ,

(1990) सप. एस. सी. सी. 220 में यह राय दी गई थी कि यदि दावा वास्तविक और मान्य है तो राज्य सरकार संशोधन के लिए उचित प्रस्ताव शुरू कर सकती है।

0] 10 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(iv) पालघाट जिला थंदन समुद्र संरक्षण समिति में

& एन. आर. वी. केरल राज्य और अन्न। , (1994) 1 एस. सी. सी. 359 में यह अभिनिर्धारित किया गया कि यह निर्धारित करने के लिए कोई जांच नहीं की जा सकती है या कोई साक्ष्य नहीं दिया जा सकता है।

कोई विशेष जाति इसके भीतर या बाहर आती है।

(v) मिलिंद में, इसी तरह के प्रभाव के लिए कानून निर्धारित किया गया था कि क्या सूची में किसी विशेष अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति को होना है

वे जैसे हैं वैसे ही उन्हें देखने के लिए दृढ़ संकल्प। यह अनुच्छेद किसी को भी इस बात का सबूत देकर संशोधन करने की अनुमति नहीं देता है कि अन्य जाति या जनजाति

सूची में उल्लिखित जातियों या जनजातियों का हिस्सा है। इसे स्थापित करने के लिए राजपत्रकों या शब्दावली को देखने का कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। यह अदालत के लिए आदेश को संशोधित करने या बदलने के लिए खुला नहीं है। (vi) बीर सिंह में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूची का कोई भी विस्तार/विलोपन, सिवाय इसके कि किसी भी प्राधिकरण द्वारा

संसद अनुच्छेद 341 और 342 के तहत संवैधानिक जनादेश के खिलाफ होगी। यदि किसी राज्य की राय में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के किसी वर्ग/श्रेणी को सूचियों में निर्दिष्ट लोगों से परे आरक्षण का लाभ देना आवश्यक है, तो राज्य को इस मामले में केंद्रीय प्राधिकरण के साथ अपने विचार रखने चाहिए ताकि निम्नलिखित सूचियों में संशोधन करके एक उपयुक्त संसदीय अभ्यास किया जा सके -

(vii) हेखम में सुरचंद्र सिंह और अन्य। वी. "लोइस" काकचिंग, मणिपुर (एक अनुसूचित जाति उत्थान निकाय) के प्रतिनिधि और ओआरएस। , (1997) 2 एस. सी. सी. 523 में यह देखा गया कि संविधान के उद्देश्य के लिए, अधिनियम और दूसरी अनुसूची के तहत प्रतिस्थापित अनुच्छेद 366 (25) के तहत परिभाषित "अनुसूचित जनजाति" निर्णायक हैं।

(viii) श्री सूरत वलसाड जिला परिषद बनाम के. एम. जी. भारत संघ और अन्य। , (2007) 5 एस. सी. सी. 360, एक समान प्रभाव वाला कानून निर्धारित किया गया था।

(ix) अनुच्छेद 341 (1) अनुसूचित जाति के सदस्यों के आर्थिक और शैक्षिक पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए उनकी रक्षा करता है। इस संदर्भ में,

राष्ट्रपति को अधिसूचना को भागों या समूहों तक सीमित करने का अधिकार है

जातियों के भीतर। उक्त प्रावधान के संदर्भ में जारी अधिसूचना संपूर्ण है। पुनीत राय बनाम में निर्धारित कानूनी कल्पना को इसका पूरा प्रभाव दिया जाना आवश्यक है। दिनेश चौधरी (2003) 8 एस. सी. सी. 204। पुनीत राय में, यह देखा गया कि राष्ट्रपति को अधिसूचना को जातियों के भीतर के भागों या समूहों तक सीमित करने के लिए अधिकृत किया गया है। जारी की गई अधिसूचना विस्तृत है। अनुच्छेद 341 (1)

का उद्देश्य अनुसूचित जातियों के सदस्यों को पंजाब और ओ. आर. एस. राज्य के संरक्षण के माध्यम से तरजीही अधिकार प्रदान करना है।

वी. डेविंदर सिंह और हमारा। [अरुण मिश्रा, जे।]

आर्थिक और शैक्षिक पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए जिससे वे पीड़ित हैं।

(x) सुभाष चंद्र बनाम। दिल्ली अधीनस्थ सेवाएँ

चयन बोर्ड, (2009) 15 एस. सी. सी. 458, राष्ट्रपति की अधिसूचना में सूचीबद्ध नहीं किए गए प्रवासियों के संबंध में प्रश्न उठा। क्या वे कर सकते हैं

आरक्षण के लाभ का दावा करें? यह अभिनिर्धारित किया गया था कि आरक्षण का विषय, जातियों/जनजातियों के समावेश से संबंधित है। संविधान में अनुच्छेद 338,338-ए, 341,342 की उपस्थिति इसकी मनाही करती है। केंद्र सरकार

और राज्य सरकार इस संबंध में एक नीतिगत निर्णय ले सकती है

अनुच्छेद 15 और 16 के संबंध में आरक्षण, लेकिन ऐसी नीति अन्य संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन नहीं कर सकती है।

32. ई. वी. चिन्नैया के निर्णय और टकटकी निर्णय के सिद्धांत पर पुनर्विचार करने के लिए, बार में कई निर्णयों का हवाला दिया गया है। वे इस प्रकार हैं: (क) शंभू नाथ सरकार बनाम। पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य। , (1973) 1 एस. सी. सी. 856 में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि न्यायालय अपने पहले के निर्णयों की समीक्षा करेगा यदि वह अपनी त्रुटि या जनता के सामान्य हित पर इस तरह के निर्णय के हानिकारक प्रभाव से संतुष्ट है या यदि यह संविधान के कानूनी दर्शन के साथ असंगत है, क्योंकि इस तरह की स्थिरता सार्वजनिक हितों के लिए हानिकारक होगी।

(ख) वाशिंगटन राज्य बनाम। डॉसन एंड कंपनी, 264 यू. एस. 219 ने देखा कि एक निर्णय पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के जीवन को गंभीर रूप से प्रभावित करता है, और सामान्य कल्याण, घूरना निर्णय एक सार्वभौमिक, अक्षम्य आदेश नहीं है।

(ग) डेविड बर्नेट बनाम। कोलोराडो ऑयल एंड गैस कंपनी, 285 यू. एस. 393, यह देखा गया कि संघीय संविधान से जुड़े मामलों में, जहां विधायी कार्रवाई के माध्यम से सुधार व्यावहारिक रूप से असंभव है, इस अदालत ने अक्सर अपने पहले के फैसलों को खारिज कर दिया है। न्यायालय अनुभव के सबक और बेहतर तर्क की शक्ति के आगे झुकता है, यह मानते हुए कि भौतिक विज्ञान में उपयोगी परीक्षण और त्रुटि की प्रक्रिया न्यायिक कार्य में भी उपयुक्त है।

((घ) ग्रेव्स v. न्यूयार्क राज्य के लोग, 303 यू. एस. 466, यह देखा गया कि संवैधानिकता की अंतिम कसौटी है स्वयं संविधान और न कि जो हमने इसके बारे में कहा है।

(ई) मार्टिन वी। हंटर लेसी, 14 यू. एस. (1 व्हीट) 304; 4 एल. एड. 97 , 102 , यह माना गया कि यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि कौन से नए परिवर्तन [2020] 10 एस. सी. आर.

और सत्ता के संशोधन चार्टर के सामान्य उद्देश्यों को प्रभावी बनाने के लिए अपरिहार्य हो सकते हैं; और प्रतिबंध और विनिर्देश, जो, वर्तमान में, लाभप्रद लग सकता है, अंत में, व्यवस्था को उखाड़ फेंकना ही साबित हो सकता है।

(च) बंगाल इम्यूनिटी कंपनी लिमिटेड बनाम। बिहार राज्य और

ओआरएस। , (1955) 2 एस. सी. आर. 603, इस न्यायालय ने कहा कि यदि न्यायालय जनता के सामान्य हितों पर हानिकारक प्रभाव के बारे में आश्वस्त है, तो निर्णय पर पुनर्विचार करना होगा, यदि इसका प्रभाव दूरगामी है क्योंकि यह सभी उपभोक्ता जनता के अधिकारों को प्रभावित करता है।

(छ) एम. नागराज में, यह निर्धारित किया गया था कि एक अधिकार मौलिक अधिकार बन जाता है क्योंकि इसका मूलभूत मूल्य होता है। संविधान को एक उदार और उद्देश्यपूर्ण निर्माण दिया जाना चाहिए। यह सक्षम करेगा

नागरिकों को उनके द्वारा गारंटीकृत अधिकारों का पूरा लाभ उठाना।

(ज) आई. आर. कोएल्हो में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि न्यायालय जनहित के संवैधानिक मामलों में अतिरिक्त आधारों की भी जांच कर सकता है। 33. बाध्यकारी मिसाल के मूल्य के संबंध में, विद्वान वरिष्ठ वकील श्री संजय हेगड़े ने निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया हैः

(ख) भारत संघ और अन्र में। वी. एलआर द्वारा रघुबीर सिंह (मृत)। आदि, (1989) 2 एस. सी. सी. 754, जबकि यह निर्धारित करते हुए कि बंधन का सिद्धांत न्यायिक निर्णयों में निश्चितता और निरंतरता को बढ़ावा देने की योग्यता पूर्ववर्ती में है।

34. श्री आर. वेंकटरमानी ने ठीक ही कहा था कि नहीं।

प्रावधान और वास्तव में संविधान का कोई भी शब्द या अभिव्यक्ति अलग से मौजूद नहीं है; वे आवश्यक रूप से परिवर्तन से संबंधित हैं और बदले में संविधान के अन्य प्रावधानों, शब्दों और वाक्यांशों द्वारा परिवर्तित किए जा रहे हैं जैसा कि जीवीके में आयोजित किया गया है। इंडस्ट्रीज लिमिटेड और ए. एन. आर. वी. आयकर अधिकारी और ए. एन. आर. , (2011) 4 एससीसी 36. की गई टिप्पणियों को नीचे निकाला गया हैः

" 37. संविधान सहित किसी भी कानून की व्याख्या करने में विचाराधीन प्रावधान का मूल पाठ प्राथमिक स्रोत होगा।

अधिनियम में निहित अर्थों को समझने के लिए। हालाँकि, गंभीर मुद्दों के आलोक में, संवैधानिक आवश्यकता के रूप में, पंजाब और ओआरएस के सच्चे राज्य की खोज को व्यापक बनाना हमेशा विवेकपूर्ण होगा।

वी. डेविंदर सिंह और हमारा। [अरुण मिश्रा, जे।]

संविधान का कोई प्रावधान, और वास्तव में कोई शब्द या अभिव्यक्ति, अलग से मौजूद नहीं है जो अनिवार्य रूप से परिवर्तन से संबंधित हैं। और बदले में, अन्य प्रावधानों, शब्दों और द्वारा परिवर्तित किया जा रहा है

संविधान में वाक्यांश "।

35. एक संवैधानिक न्यायालय कानून को संविधान में निहित घोषित करता है, लेकिन ऐसा करने में, यह सही ढंग से दर्शाता है कि एक संविधान एक जीवित और जैविक चीज है, जिसका गुडइयर इंडिया लिमिटेड और अन्य में देखा गया है कि सभी उपकरणों में से किसका व्यापक और उदार रूप से अर्थ लगाया जाना सबसे बड़ा दावा है। वी. हरियाणा राज्य और अन्र। , (1990) 2 एस. सी. सी 71.

36. इस न्यायालय ने इंद्र साहनी में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की अवधारणा पर चर्चा की; हालाँकि, न्यायालय ने कहा ऊपर निकाले गए अनुच्छेद 781 में कहा गया है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को पिछड़े वर्गों में शामिल किया गया है, इसलिए इस पर चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस प्रकार, चर्चा इस बात तक सीमित थी कि क्या सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को इसमें शामिल किया जा सकता है।

अनुच्छेद 16 (4) में यह राय दी गई थी कि अनुच्छेद 16 (4) का आधार अनुच्छेद 15 (4) से अधिक व्यापक है। यह भी देखा गया कि अनुच्छेद 16 (4) के तहत विचार किए गए पिछड़े वर्गों में कुछ जातियां शामिल हैं। अनुसूचित जातियों में कुछ जातियाँ शामिल हैं। उपरोक्त आधारभूत आधार के आधार पर,

व्याख्या की गई। हमारी राय में, यह निर्णय अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अनुच्छेद 16 (4) के प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए प्रासंगिक है। वे समान आधार पर खड़े हैं, और उन्हें अनुच्छेद 342 ए, जो अनुच्छेद 341 या 342 के समान है, को शामिल करके और अनुच्छेद 366 (24) और (26 सी) की परिभाषा पर विचार करके और पिछड़े वर्गों का वर्गीकरण करके अन्य से अलग नहीं माना जा सकता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति निश्चित रूप से पिछड़े हैं और सभी पर एक ही मापदंड लागू होगा। इंद्र साहनी में यह माना गया था कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों के भीतर उप-वर्गीकरण करने की अनुमति है।

कक्षाएँ। यह चर्चा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लागू होगी क्योंकि वे अनुच्छेद 16 (4) के तहत आते हैं। 37. इंद्र साहनी में, बी. पी. जीवन रेड्डी, जे. ने कहा कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के भीतर कई जातियाँ या जनजातियाँ हैं -

समान रूप से स्थित नहीं है। एन. एम. थॉमस में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अनुसूचित जातियाँ जातियों, नस्लों, जनजातियों, समुदायों या उनके कुछ हिस्सों का समूह है जो आयोग द्वारा उपयुक्त पाए जाते हैं और राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित किए जाते हैं।

कुछ नहीं है [2020] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

लेकिन एक सामाजिक वर्ग या सामाजिक रूप से समरूप वर्ग। यह व्यावसायिक समूह पर आधारित है। इसकी सदस्यता जन्म से है, और उन्हें एक ही व्यवसाय विरासत में मिलता है। 38. सवाल यह उठता है कि क्या सभी जातियों को लाभ प्रदान करने के लिए उप-वर्गीकरण को अनुच्छेद 341,342 और 342 ए के तहत सूची के साथ छेड़छाड़ कहा जा सकता है, इंदिरा साहनी में निर्णयों को देखते हुए, पिछड़े वर्गों के उप-वर्गीकरण की अनुमति देते हुए और जरनैल सिंह में, जिसमें यह राय दी गई थी कि लाभ के बहिष्कार के लिए 'मलाईदार परत अवधारणा' अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर लागू की जा सकती है और यह किसी भी तरह से संविधान के अनुच्छेद 341 या 342 के तहत राष्ट्रपति की सूची के साथ छेड़छाड़ नहीं करता है। जाति या समूह या उप-समूह सूची में पहले की तरह ही जारी रहा। यह केवल वे व्यक्ति हैं जो उस समूह या उप-समूह के भीतर हैं,

जो मलाईदार परत से संबंधित होने के कारण अस्पृश्यता या पिछड़ेपन से बाहर आए हैं, जिन्हें लाभ से बाहर रखा गया है

आरक्षण। मिलियन डॉलर का सवाल यह है कि लाभ को निचले स्तर तक कैसे पहुँचाया जाए; रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि लाभ उन जातियों (वर्ग) द्वारा हड़पा जा रहा है जो सामने आई हैं और पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व किया है। यह स्पष्ट है कि जाति, व्यवसाय और गरीबी आपस में जुड़े हुए हैं। राज्य को सुधारात्मक कदम उठाने के लिए विभिन्न वर्गों के बीच गुणात्मक और मात्रात्मक अंतर का ध्यान रखने की शक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है

उपाय।

39. संविधान निर्माताओं द्वारा हर समय आरक्षण पर विचार नहीं किया गया था। एक तरफ, उन लोगों का कोई बहिष्कार नहीं है जो दूसरी ओर, यदि उप-वर्गीकरण से इनकार किया जाता है, तो यह असमान को समान मानते हुए समानता के अधिकार को विफल कर देगा। चेन्नोलु लीला प्रसाद राव और ओआरएस में। वी. ए. पी. और अन्य का राज्य। , 2020 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 383, सूचियों को संशोधित करने की आवश्यकता को इंद्र सॉनी और भारत संघ और अन्य पर भरोसा करते हुए इंगित किया गया था। वी. राकेश कुमार और अन्य। , (2010) 4 एससीसी 50।

40. सेवाओं और शिक्षा में आरक्षण के लाभ के रूप में आरक्षित वर्ग के भीतर जातीय संघर्ष हो रहा है, जो

बेहतर वंशानुगत व्यवसाय कर रहे हैं। बाल्मिकी का नाम दिया गया सफाईकर्मी वर्ग कमोबेश वहीं बना हुआ है जहां वह था, और इसी तरह, अनुसूचित जाति के भीतर असमानता विभिन्न रिपोर्टों से बड़ी है। उप.

पंजाब अधिनियम की धारा 4 (5) के तहत वर्गीकरण किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आरक्षण का लाभ वंचित वर्ग तक पहुंचे और कागज पर न रहे और सभी को लाभ प्रदान किया जाए और उनके साथ समान व्यवहार किया जाए, चाहे वह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन हो? हमारी राय में, इस तरह के उप-वर्गीकरण को पंजाब और ओ. आर. एस. का राज्य बनाना तर्कसंगत आधार पर अनुमत होगा।

वी. डेविंदर सिंह और हमारा। [अरुण मिश्रा, जे।]

समानता लाने के लिए सभी को लाभ प्रदान करना, और यह सूची से बहिष्कृत करने के बराबर नहीं होगा क्योंकि कोई भी वर्ग (जाति) समग्र रूप से आरक्षण से वंचित नहीं है। लाभ के मामले में जो सभी की मुक्ति के लिए है अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल जातियों को कुछ जातियों द्वारा हड़पने की अनुमति है, जिनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व है, वे आगे बढ़ गई हैं।

और मलाईदार परत से संबंधित था, तो यह असमानता पैदा करने के समान होगा, जबकि भूख की स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को खिलाया और रोटी प्रदान करने की आवश्यकता होती है। फलों की पूरी टोकरी को एक समान वर्ग बनाने की आड़ में दूसरों की कीमत पर शक्तिशाली लोगों को नहीं दिया जा सकता है।

41. संविधान सामाजिक परिवर्तन का एक प्रभावी साधन है; असमानताओं को दूर करने का उद्देश्य हर आंख से आँसू पोंछना है। द.

सामाजिक वास्तविकताओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है जबकि संविधान का उद्देश्य असमानताओं को व्यापक रूप से दूर करना है। उसी का उद्देश्य

आरक्षण प्रदान करना असमानताओं का ध्यान रखना है। संविधान असमानताओं का ध्यान रखता है। अनुसूचित की सूची में असमानताएँ हैं

जाति, अनुसूचित जनजाति और सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग। विभिन्न रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एक समरूप समूह का गठन नहीं करते हैं। निम्नतम वर्ग के साथ समान व्यवहार की आकांक्षा, जिनके लिए आरक्षण का फल प्रभावी रूप से नहीं पहुंचा है, एक सपना बनी हुई है। साथ ही, विभिन्न जातियाँ जहां थीं, वैसे ही बनी हुई हैं और वे असमान बनी हुई हैं, क्या वे अनंत काल तक अपने पिछड़ेपन को बनाए रखने के लिए नियत हैं?

42. राज्य का दायित्व समुदाय के वंचित वर्ग की मुक्ति और असमानताओं को समाप्त करना है। जब

आरक्षण आरक्षित जातियों के भीतर ही असमानता पैदा करता है, राज्य द्वारा उप-वर्गीकरण करके और एक वितरण न्याय विधि अपनाकर इसका ध्यान रखा जाना आवश्यक है ताकि राज्य की उदारता कुछ हाथों में केंद्रित न हो और सभी को समान न्याय प्रदान किया जाए। इसमें संसाधनों और अवसरों का पुनर्वितरण और पुनर्वितरण और न्यायसंगत होना शामिल है।

सभी के लिए समान न्याय के संवैधानिक जनादेश के उद्देश्य को पूरा करने के लिए सभी सार्वजनिक और सामाजिक वस्तुओं तक पहुंच।

43. अनुमेय सीमा के भीतर आरक्षण का प्रतिशत प्रदान करना राज्य विधानसभाओं की शक्तियों के भीतर है। इसे सूची में दूसरों को वंचित किए बिना अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के विशेष वर्गों के भीतर उचित वर्गीकरण करने की अपनी सहवर्ती शक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। आरक्षण के वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, संवैधानिक गतिशीलता के भीतर, जरूरतमंदों को हमेशा लाभ दिया जा सकता है; अन्यथा, इसका मतलब होगा कि [2020] 10 एस. सी. आर.

तरजीही वर्गीकरण होने पर वर्ग के भीतर असमानता कायम रखी जा रही है।

सभी को लाभ सुनिश्चित करने के लिए नहीं बनाया गया है।

44. उप-वर्गीकरण उसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए है, जैसे

मूल वर्गीकरण में ही परिकल्पित और उस पर आधारित

आरक्षण की अवधारणा ही विकसित हुई। क्या उप-वर्गीकरण उक्त गतिशीलता के सिद्धांत का और विस्तार होगा, यह सवाल न्यायालय द्वारा आधिकारिक रूप से विचार किया जाना चाहिए।

विभिन्न लोगों द्वारा एकत्र किए गए विशाल मानवशास्त्रीय और सांख्यिकीय आंकड़ों से आयोग। सीमित सीमा तक तरजीही व्यवहार का राज्य कानून, सूची में संशोधन नहीं करता है। यह सूची को जैसा है वैसा ही अपनाता है। राज्य के कानून का उद्देश्य सांख्यिकीय आंकड़ों के आधार पर व्यावहारिक तरीके से सभी अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण प्रदान करना है। यह प्रत्येक अनुसूचित जाति की जरूरतों के आधार पर आरक्षण के लाभों को वितरित करता है।

और 16 (4) और अनुच्छेद 341 (1) और 342 (1) भी। यह विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षण की सीमा/प्रतिशत निर्धारित करता है। राज्य सरकार आरक्षण का तरीका और मात्रा तय कर सकते हैं। इस प्रकार, राज्य आरक्षण प्रदान करने वाले संविधान के अनुच्छेद 14,15 और 16 की भावना के अनुरूप तर्क के आधार पर सूची में सभी अनुसूचित जातियों को आरक्षण प्रदान करते समय उप-वर्गीकरण भी कर सकता है। राज्य सरकार सूची के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती है; यह न तो सूची में किसी भी जाति को शामिल कर सकती है और न ही बाहर कर सकती है या यह जांच कर सकती है कि मिलिंद में कोई पर्यायवाची शब्द मौजूद है या नहीं।

47. राज्य सरकार को प्रदान करने की शक्ति प्रदान की गई है

आरक्षण और इसे समान रूप से वितरित करना। राज्य सरकार है

विभिन्न क्षेत्रों में असमानताओं के बारे में सर्वश्रेष्ठ न्यायाधीश। हमारी राय में, यह राज्य सरकार को तय करना है कि आरक्षण को किस न्यायसंगत तरीके से वितरित किया जाना है। यह अपनी कार्यप्रणाली तैयार कर सकता है और दूसरों को लाभ से वंचित किए बिना अनुसूचित जातियों में से अधिक पिछड़े वर्ग विशेष को वरीयता दे सकता है।

48. इसके अलावा, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों में से अन्य वर्ग, जिन्हें आरक्षण के लाभ से वंचित नहीं किया गया है, वे यह दावा नहीं कर सकते हैं कि आरक्षण का पूरा या एक विशेष प्रतिशत पंजाब और ओआरएस राज्य को उपलब्ध कराया जाना चाहिए था।

वी. डेविंदर सिंह और हमारा। [अरुण मिश्रा, जे।]

उन्हें। राज्य उत्थान की आवश्यकता वाली सूचियों के भीतर वर्ग को तर्कसंगत मानदंडों पर ऐसी वरीयता प्रदान कर सकता है। यह दावा करने का कोई निहित अधिकार नहीं है कि आरक्षण एक विशेष प्रतिशत पर होना चाहिए। इसे सहमत होना पड़ता है

जमीनी हकीकत के साथ क्योंकि कोई भी पूरे आरक्षण का आनंद लेने के अधिकार का दावा नहीं कर सकता है, यह आवश्यकता के अनुसार आनुपातिक हो सकता है। राज्य को एक ही समय में विभिन्न वर्गों के उत्थान के उपायों से वंचित नहीं किया जा सकता है, जो इस तरह के उपाय प्रदान करने का उद्देश्य है। आरक्षण की भावना राष्ट्र की प्रगति के लिए आवश्यक सभी वर्गों का उत्थान है। 49. संघीय ढांचे में, राज्य के साथ-साथ संसद के पास अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए एक संवैधानिक निर्देश है,

अनुसूचित जनजाति, और सामाजिक और पिछड़े वर्ग। राष्ट्रपति की अधिसूचना में केवल संसद द्वारा शामिल या बहिष्कृत किया जाता है। राज्य सरकार को इन क्षेत्रों में आरक्षण प्रदान करने का अधिकार है - रोजगार और शिक्षा। इन मामलों में राज्य सरकार द्वारा आगे सकारात्मक कार्रवाई करने के लिए कोई संवैधानिक बाधा नहीं है।

लक्ष्य को प्राप्त करें। आरक्षित सीटों में से एक विशिष्ट प्रतिशत आवंटित करके और किसी विशेष वर्ग को तरजीही उपचार प्रदान करके, अनुच्छेद 341,342 और 342 ए के तहत सूची का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है क्योंकि किसी भी सूचीबद्ध जाति को आरक्षण के लाभ से वंचित नहीं किया जाता है। 50. अपर्याप्त प्रतिनिधित्व अनुच्छेद 16 (4) के प्रावधानों का आधार है। हमारी राय में, सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए आरक्षित सीटों में से उचित कोटा तय करके तर्कसंगत आधार पर तरजीही उपचार प्रदान करना राज्य के लिए खुला होगा। उत्पीड़ित वर्ग की मुक्ति के लिए आरक्षण एक बहुत ही प्रभावी साधन है। इसका लाभ मोटे तौर पर सबसे जरूरतमंद और सबसे गरीब लोगों को नहीं मिल रहा है।

51. अनुच्छेद 14,15,16,338,341,342 और 342 ए की व्याख्या अत्यधिक सार्वजनिक महत्व और सही व्याख्या का विषय है।

इंद्र साहनी और अन्य निर्णयों में बाध्यकारी उदाहरणों का। यद्यपि हम टकटकी निर्णय के सिद्धांत का पूरा सम्मान करते हैं, साथ ही साथ, न्यायालय मूक दर्शक और कठोर वास्तविकताओं के प्रति आंखें बंद नहीं रख सकता है। सामाजिक परिवर्तन के संवैधानिक लक्ष्य को बदलती सामाजिक वास्तविकताओं को ध्यान में रखे बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

52. हम 3 न्यायाधीशों की पीठ की इस राय का समर्थन करते हैं कि ई. वी. चिन्नैया पर एक बड़ी पीठ द्वारा पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता है। इससे भी अधिक, आगे के विकास और संविधान के संशोधन को देखते हुए, जो हुआ है।

हम समन्वय की ई. वी. चिन्नैय्या पीठ पर फिर से विचार नहीं कर सकते।

ए.

ताकत। हम माननीय मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध करते हैं कि वे मामलों को 7 या उससे अधिक न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष रखें जो उचित समझे।
अंकित ज्ञान